

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

सूचना-पुस्तिका

स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) 2016

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा अपने विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2016-2017 में प्रवेश हेतु अप्रैल-मई 2016 [प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम का खण्ड-21 देखें] में प्रवेश परीक्षाएं, जिसे आगे 'यूईटी' कहा जायेगा, आयोजित की जाएंगी। अधोलिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करने वाले तथा प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए आवेदकों द्वारा स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) में प्राप्तांकों के श्रेष्ठता क्रम तथा आवेदित पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन किया हो। ये पाठ्यक्रम 'सामान्य पाठ्यक्रम', 'वृत्तिक पाठ्यक्रम' तथा 'व्यावसायिक पाठ्यक्रम' में विभाजित किए गए हैं। सभी पाठ्यक्रम संबंधित संकायों में संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा, कुछ पाठ्यक्रम महिला महाविद्यालय, बीएचयू (एमएमवी); राजीव गांधी दक्षिणी परिसर (आरजीएससी), बरकछा, मीरजापुर तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नगर स्थित महाविद्यालयों-आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमपीजीसी), चेतगंज; वसन्त कन्या महाविद्यालय (वीकेएम), कमच्छा; वसन्ता महिला महाविद्यालय (वीसीडब्ल्यू), राजघाट तथा डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय (डीएवीपीजीसी), औसानगंज में भी संचालित किए जाते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या कोष्ठक में दर्शाई गई है जहाँ 'एम' केवल पुरुष को, 'एफ' केवल महिला को तथा 'एम व एफ' पुरुष तथा महिला दोनों को दर्शाता है।

खण्ड-अ

1. अध्ययन पाठ्यक्रम, न्यूनतम अर्हता, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम कूट संख्या एवं सीटों की संख्या

नोट: - अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी हुई न्यूनतम आवश्यक अर्हता को ध्यान से पढ़ें तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आवश्यक अर्हता में दी जाने वाली छूट तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में दी जाने वाली छूट, न्यूनतम आवश्यक अर्हता सम्बन्धी टिप्पणी जो कि उपखण्ड 3 और 4 में दी हुई है का भी अच्छी तरह अध्ययन कर लें।

अ - सामान्य पाठ्यक्रम :

कला संकाय

- i. बी.ए. (आनर्स) कला: अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-131
न्यूनतम अर्हता शर्तें : 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण।
आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)।
सीटों की संख्या: कला संकाय (614 एम), महिला महाविद्यालय (230 एफ), आर्य महिला पी.जी. कालेज (307 एफ), वसन्त कन्या महाविद्यालय (230 एफ), वसन्ता महिला महाविद्यालय (330 एफ), डीएवी पीजी कालेज (246 एम व एफ)

ii. सामाजिक विज्ञान संकाय

- बी.ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-132

न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण।
आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)।
सीटों की संख्या: सामाजिक विज्ञान संकाय (460 एम), महिला महाविद्यालय (154 एफ), आर्य महिला पी.जी. कालेज (307 एफ), वसन्त कन्या महाविद्यालय (200 एफ), वसन्ता महिला महाविद्यालय (169 एफ), डी.ए.वी. पी.जी. कालेज (261 एम व एफ)

iii. **वाणिज्य संकाय**

बी.काम. (आनर्स)/बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट* अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)
कूट संख्या-133

न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/संगणक विज्ञान/फाइनेंस/फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (वाणिज्य से संबंधित) विषयों में से किसी एक के साथ योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण एवं संबद्ध विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो)।

आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)।

सीटों की संख्या: बी.काम. (आनर्स) के लिए: वाणिज्य संकाय (230); वसन्ता महिला महाविद्यालय (77 एफ); डी.ए.वी. पी.जी. कालेज (184); आर्य महिला पी.जी. कालेज (77 एफ); राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पेड सीट फीस संरचना के आधार पर रूपए 25, 000/- प्रतिवर्ष+ रेगुलर फीस विश्वविद्यालय के नियमानुसार) (92)।

इसके अतिरिक्त, बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट* का पाठ्यक्रम वाणिज्य संकाय तथा राजीव गाँधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जाता है (आरजीएससी तथा मुख्य परिसर प्रत्येक में 50 सीटें) जिसकी फीस रु. 25,000 प्रतिवर्ष + अन्य रेगुलर फीस विश्वविद्यालय के नियमानुसार है। अधिकतम 50 व न्यूनतम 25 सीटें होंगी। आरजीएससी, बरकछा, मीरजापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को काउंसलिंग के समय अपना विकल्प/वरीयता बी.काम. (आनर्स)/बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट के लिए देना होगा और प्रवेश अभ्यर्थी की मेरिट एवं विकल्प/वरीयता के आधार पर होगा। यदि बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या न्यूनतम सीट से कम होगी तो उस शैक्षणिक सत्र में यह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा।

iv. **विज्ञान संस्थान**

(अ) बी.एससी. (आनर्स) गणित समूह: अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-181

न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, गणित के साथ रसायन, सांख्यिकी, भूगर्भशास्त्र, संगणक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा भूगोल विषयों में से कोई एक हो, के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण। उक्त संबद्ध तीनों विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो)।

आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)।

सीटों की संख्या: विज्ञान संकाय (460 एम व एफ); महिला महाविद्यालय (77 एफ)

(ब) बी.एससी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह: अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-182
न्यूनतम अर्हता शर्तें : 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, गणित के साथ जीव विज्ञान, भूगर्भशास्त्र तथा भूगोल विषयों में से कोई एक हो, के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण। उक्त संबद्ध तीनों विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो)।
आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)।
 सीटों की संख्या: विज्ञान संकाय (307 एम व एफ); महिला महाविद्यालय (154 एफ)

V. संस्कृतविद्या धर्मविज्ञान संकाय

शास्त्री (आनर्स): अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-187

न्यूनतम अर्हता शर्तें: (अ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की मध्यमा/मध्यमा/उत्तर मध्यमा/उप शास्त्री/इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 या समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण और (ब) सम्बन्धित परीक्षा में संस्कृत का एक विषय होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को उसमें भी उत्तीर्ण होना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थी जो 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संस्कृत में एक वर्षीय सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए हों तथा वे 10+2 परीक्षा और एक वर्षीय सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा में भी कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह होंगे।

आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का होना चाहिए)।

सीटों की संख्या: संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (211 एम व एफ)

ब - वृत्तिक पाठ्यक्रम :

अ) शिक्षाशास्त्र में स्नातक पाठ्यक्रम

i. शिक्षा संकाय

बी.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन)

बी.एड. विशेष शिक्षा

(बैचलर आफ एजूकेशन- विशेष शिक्षा)

अवधि: 2 सेमेस्टर (एकवर्षीय) विषय कूट सं. तालिका 1 में दिया गया है।

न्यूनतम अर्हता शर्तें (बी.एड. तथा बी.एड. विशेष शिक्षा)

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में स्नातक उपाधि तथा/अथवा स्नातकोत्तर उपाधि; 55 प्रतिशत अंकों के साथ विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता सहित अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि । अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम एक स्कूल विषय* मुख्य विषय** के रूप में अवश्य पढ़ा हो।

स्कूल विषय : हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान (भौतिकी और/या रसायन), जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान और/या वनस्पति विज्ञान), गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास (या प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति और पुरातत्व), भूगोल, राजनीति विज्ञान (या नागरिक शास्त्र), गृह विज्ञान, सांख्यिकी और वाणिज्य। बी.एड./बी.एड. (स्पेशल एजूकेशन) में चार समूह होंगे; जैसे; (अ) भाषा (ब) विज्ञान (स) गणित और (द) मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान। अभ्यर्थी को किसी विशेष वर्ग में पात्र होने के लिए निम्नांकित तालिका में कोई एक मुख्य विषय स्नातक स्तर पर (कम से कम दो वर्ष)/परास्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। विषय कूट संख्या भी तालिका में दी गयी है।

तालिका 1

समूह	स्नातक/परास्नातक स्तर पर मुख्य विषय	कूट संख्या	
अ	भाषा	हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	564
ब	विज्ञान	वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायन विज्ञान/ भौतिक विज्ञान/गृह विज्ञान	565
स	गणित	गणित/सांख्यिकी	567
द	सामाजिक विज्ञान और मानविकी	इतिहास (अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व)/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान(अथवा नागरिक शास्त्र)/वाणिज्य/गृह विज्ञान#	568

*मुख्य विषय वे हैं जिनके अंक अंतिम वर्ष के अंकपत्र के कुल योग में जोड़े गए हों तथा वे विषय स्नातक/परास्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष तक अध्ययन किये गये हों।

#केवल वसन्ता महिला महाविद्यालय, राजघाट तथा आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में उपलब्ध।

महत्वपूर्ण नोट :

- अ) अपनी शैक्षिक योग्यतानुसार विषय समूह चुनने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का है। बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोई एक विषय समूह चुन सकेंगे और एक बार आवंटित कर दिए जाने के पश्चात इसे बदला नहीं जाएगा। पात्रता के अनुरूप विषय समूह का चयन न करने और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा पहली बार चुना गया विषय समूह ही अंतिम होगा।
- ब) अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग के समय बी.एड./अक्षमता क्षेत्र सहित बी.एड. (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के स्थान के चुनाव का विकल्पवरीयता क्रम देना होगा तथा प्रवेश मेरिट और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पहली बार चुना गया विकल्प अंतिम होगा।
- स) बी.एड. (विशेष शिक्षा) पाठ्यक्रम के माध्यम से दृष्टिहीन एवं मूकबधिर विकलांग बच्चों को शिक्षित करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। हालांकि, संकाय द्वारा दो विशिष्टताएं (स्पेशलिटीज) - दृष्टिहीन और बधिर विकलांगताओं हेतु पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। यूईटी की योग्यता सूची के अनुसार बी.एड.-विशेष शिक्षा (द.बा.) के पन्द्रह छात्रों को रु. 300/- प्रतिमाह वृत्तिका दी जाती है।
- द) बी.एड.-विशेष शिक्षा (श्र.बा.) तथा बी.एड.-विशेष शिक्षा (द.बा.) के पाठ्यक्रमों का संचालन भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) से प्राप्त मान्यता के अधीन होगा।

सीटों की संख्या:

- i. **बी.एड.** [बीएचयू परिसर, कमच्छा (100) ; राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकच्छा, मिर्जापुर [(50 एम व एफ) पेड सीट फीस संरचना के अनुसार] ; एएमपीजीसी (50 एफ); वीसीडब्ल्यू (50 एफ); [सीटों का विस्तृत विवरण नीचे दिया है]
- ii. **बी.एड. (विशेष शिक्षा) :** शिक्षा संकाय (एम व एफ) दृष्टि बाधित (द.बा.): 25, श्रवण बाधित (श्र.बा.) : 25

बी.एड. हेतु समूहवार सीटों का विवरण

संस्थान/संकाय/महाविद्यालय	विषय समूह				कुल
	भाषा	विज्ञान	गणित	सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी	
	ए	बी	सी	डी	
शिक्षा संकाय, कमच्छा	24	26	24	26	100
राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर	12	13	12	13	50
वसन्त महिला महाविद्यालय, राजघाट	12	13	12	13	50
आर्य महिला पी.जी. कालेज, चेतगंज	12	13	12	13	50

बी.एड. (विशेष शिक्षा) हेतु समूहवार सीटों का विवरण

पाठ्यक्रम अक्षमता क्षेत्र	विषय समूह				कुल
	भाषा	विज्ञान	गणित	सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी	
	ए	बी	सी	डी	
दृष्टि बाधित	6	7	4	8	25
श्रवण बाधित	6	7	4	8	25

टिप्पणी [बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) हेतु] सीटों का आरक्षण विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा। सीटों की संख्या कम होने की स्थिति में संकाय की प्रवेश समिति को यह अधिकार होगा कि वह आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जहां तक संभव हो सके व्यावहारिक तौर पर इस प्रकार आवंटित करे कि कुल उपलब्ध सीटों में से उन्हें उनकी श्रेणी के अनुरूप आरक्षित सीटें प्राप्त हो सकें।

स - अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम :

i. कृषि विज्ञान संस्थान/कृषि संकाय

i. **बी.एससी. (कृषि.)/बी.एससी. (कृषि.)-रागादप* : अवधि: 8 सेमेस्टर (चतुर्वर्षीय) कूट संख्या-135**

न्यूनतम अर्हता शर्तें : 10+2 अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान में (भौतिकी, रसायन और गणित/जीव विज्ञान के साथ) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.एससी. (कृषि.) में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। अनु.जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

आयु : 1 जुलाई, 2016 को आयु 16 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई, 1991 को अथवा उसके बाद तथा 1 जुलाई, 2000 अथवा उससे पहले का होना चाहिए)।

सीटों की संख्या : कृषि विज्ञान संस्थान (123 एम व एफ), रागादप* (40 एम व एफ)

टिप्पणी* : बी0 एससी0 (कृषि) पाठ्यक्रम राजीवगांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के तहत संचालित है जिसकी शुल्क संरचना रु. 25,000 प्रति सेमेस्टर + विश्वविद्यालय द्वारा बी.एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित नियमित शुल्क है। सीटों की अधिकतम/न्यूनतम सं. 40/25 है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्थान के

चयन/वरीयता का विकल्प देना होगा तथा प्रवेश मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जायेगा। यदि बी. एस.सी. (कृषि) हेतु विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम सीटों की संख्या से कम होगी तो उस शैक्षणिक सत्र में वह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।

ii. विधि संकाय

(अ) एल.एल.बी. (आनर्स) (विधि स्नातक) अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-151

न्यूनतम अर्हता शर्तें: बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम./शास्त्री (कम से कम 10+2+3 पद्धति) में तीनों वर्षों के सभी विषयों के आधार पर परीक्षा के योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित या एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये विधि परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य (10+2+3) उपाधि तीनों वर्षों के सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण (योग में प्राप्तांक का प्रतिशत जैसा ऊपर बताया गया है, के आधार पर) (नोट : बार काउंसिल आफ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार बिना प्राथमिक योग्यता धारण किए मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के माध्यम से 10+2 अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं हैं)।

सीटों की संख्या : विधि संकाय (230 एम व एफ)

(ब) बी.ए. एल.एल.बी. (आनर्स) अवधि: 10 सेमेस्टर (पंचवर्षीय) कूट संख्या-137

(विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत)

न्यूनतम अर्हता शर्तें : अभ्यर्थी जिन्होंने सीनियर सेकेण्डरी स्कूल (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो/सम्मिलित हो रहे हों अथवा इसके समकक्ष (जैसा कि 11+1, सीनियर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में 'ए' लेवल) भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या विदेश से या सीनियर सेकेण्डरी बोर्ड से या संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थान से अथवा इसके समकक्ष संबंधित देश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थान से जो पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर अर्हता प्रमाण पत्र जारी करता हो।

तथापि, बिना प्राथमिक योग्यता धारण किए हुए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के माध्यम से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है वे पंचवर्षीय बी.ए. एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं हैं। प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा के कुल अंकों में से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

सीटों की संख्या : विधि संकाय (एम व एफ; न्यूनतम 30 अधिकतम 60)

पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 60,000/- प्रतिवर्ष

iii. कला संकाय

(अ) बी.पी.एड. (शारीरिक शिक्षा स्नातक) अवधि: 4 सेमेस्टर (द्विवर्षीय) कूट संख्या-152

न्यूनतम अर्हता शर्तें: (i) (अ) 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि तथा कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर-विद्यालयी/अंतर-आंचलिक/जिला/स्कूल स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में सहभागिता या (ब) 45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या (स) 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक उपाधि जिसमें शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या (द) 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय या राज्य या अंतर-विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में सहभागिता या अंतर-विद्यालयी/अंतर-आंचलिक/जिला/स्कूल खेल कूद प्रतियोगिता में सहभागिता जिसमें पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त हुआ हो या (य) स्नातक उपाधि और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में सहभागिता अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त हुआ हो या (र) 45

प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव (सेवारत अभ्यर्थियों हेतु यथा-प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापक/प्रशिक्षक)।

(ii) **आयु:** 1 जुलाई 2016 को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1991 अथवा उसके बाद का होना चाहिए) और

(iii) बी.पी.एड. की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को खेलकूद में सहभागिता के लिए बोनस अंक [बीपीएड की परीक्षा अवधि एवं प्रश्नपत्र की संरचना हेतु उपखंड 15 (xi) देखें] हेतु विचार किए जाने के लिए उच्चतम खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता का प्रमाण पत्र, यदि कोई हो तो प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियोंको शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ मूल प्रमाण पत्र लाना होगा।

सीटों की संख्या : 50 (एम व एफ)

नोट :

- महिला अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित कुल सीटों की प्रत्येक श्रेणियों में 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो आवंटित महिला सीट को पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं हैं।

नोट : अर्ह अभ्यर्थियों को बीएचयू छात्र स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा परीक्षा करवानी होगी। चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

(iv) **संगीत एवं मंच कला संकाय**

बी.पी.ए. (संगीत एवं मंच कला में स्नातक)

अ) बी.पी.ए. (वाद्य संगीत: सितार - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)	अवधि: 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय)	कूट संख्या-171
ब) बी.पी.ए. (वाद्य संगीत: बाँसुरी - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		कूट संख्या-172
स) बी.पी.ए. (वाद्य संगीत: वायलिन - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		कूट संख्या-173
द) बी.पी.ए. (वाद्य संगीत: तबला - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		कूट संख्या-174
य) बी.पी.ए. (नृत्य: कथक - भारतीय शास्त्रीय नृत्य)		कूट संख्या-175
र) बी.पी.ए. (नृत्य: भरतनाट्यम - भारतीय शास्त्रीय नृत्य)		कूट संख्या-176
ल) बी.पी.ए. (कंठ संगीत - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		कूट संख्या-177

न्यूनतम अर्हता शर्तें : (अ) 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि और

(ब) कंठ संगीत/वाद्य संगीत/नृत्य (कथक/भरतनाट्यम) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से किसी स्तर पर एक विषय होना चाहिए तथा अभ्यर्थी उसमें भी उत्तीर्ण हो; या इस विश्वविद्यालय के कंठ संगीत/वाद्य संगीत/नृत्य (कथक और भरतनाट्यम) में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; या निम्नलिखित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण।

(कंठ/वाद्य संगीत/नृत्य हेतु)

प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की सीनियर डिप्लोमा परीक्षा/भातखण्डे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की मध्यमा परीक्षा/मध्य प्रदेश सरकार की संगीत में मध्यमा परीक्षा/ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल, मुम्बई की मध्यमा परीक्षा/इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ की मध्यमा परीक्षा।

(केवल नृत्य हेतु)

कला क्षेत्र, चेन्नई द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय अंश कालिक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण/तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित सीनियर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण/भारतीय नृत्य मन्दिर, पटना द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय डिप्लोमा।
(स) अभ्यर्थी को उपर्युक्त सभी संगीत/नृत्य के प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक है (अनु. जाति/अनु. जनजाति हेतु मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है)।

सीटों की संख्या : संगीत एवं मंच कला संकाय : कण्ठ संगीत (15 एम व एफ); वाद्य संगीत (सितार : एम व एफ); वाद्य संगीत (बांसुरी : 15 एम व एफ); वाद्य संगीत (वायलिन : 15 एम व एफ); वाद्य संगीत (तबला : 15 एम व एफ); नृत्य (कथक : 15 एम व एफ); नृत्य (भरतनाट्यम : 15 एम व एफ)

V. दृश्य कला संकाय

बी.एफ.ए. (ललित कला में स्नातक) अवधि : 8 सेमेस्टर (चतुर्वर्षीय) कूट संख्या-180

न्यूनतम अर्हता शर्त: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण।
आयु : 1 जुलाई 2016 को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 1994 अथवा उसके बाद का नहीं होना चाहिए)।

सीटों की संख्या : दृश्य कला संकाय (77 एम व एफ)

द. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

i. कला संकाय

व्यवसाय कार्यक्रम में स्नातक

अ) खुदरा प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-188

पाठ्यक्रम संचालन स्थल	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू			
सीटों की संख्या	अधिकतम	50	शुल्क	विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 1981/- प्रति सेमेस्टर+ विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 12500/- प्रति सेमेस्टर

न्यूनतम अर्हता शर्त : किसी भी विषय में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-4 या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी खुदरा प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

ब) लॉजिस्टिक प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-188

पाठ्यक्रम संचालन स्थल	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू			
सीटों की संख्या	अधिकतम	50	शुल्क	विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 1981/- प्रति सेमेस्टर+ विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 12500/- प्रति सेमेस्टर

न्यूनतम अर्हता शर्त : किसी भी विषय में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-4 या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी लॉजिस्टिक प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

स) आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-188

पाठ्यक्रम संचालन स्थल	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू			
सीटों की संख्या	अधिकतम	50	शुल्क	विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 1,981/- प्रति सेमेस्टर+ विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 10,000/- प्रति सेमेस्टर

न्यूनतम अर्हता शर्तें : किसी भी विषय में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-4 या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

द) खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-189

पाठ्यक्रम संचालन स्थल	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू			
सीटों की संख्या	अधिकतम	50	शुल्क	विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 1,981/- प्रति सेमेस्टर+ विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 20,000/- प्रति सेमेस्टर

न्यूनतम अर्हता शर्तें : किसी भी विषय में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-4 या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी खाद्य प्रसंस्करण प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

य) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी व्यवसाय में स्नातक अवधि : 6 सेमेस्टर (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-189

पाठ्यक्रम संचालन स्थल	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बीएचयू			
सीटों की संख्या	अधिकतम	50	शुल्क	विश्वविद्यालय शुल्क : रु. 1,981/- प्रति सेमेस्टर+ विशेष पाठ्यक्रम शुल्क : रु. 20,000/- प्रति सेमेस्टर

न्यूनतम अर्हता शर्तें : किसी भी विषय में 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा एनएसक्यूएफ प्रमाण पत्र स्तर-4 या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी व्यवसाय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। अ से य तक के उपर्युक्त स्नातक व्यावसायिक कार्यक्रमों की अवधि और इसे छोड़ना तथा उपाधि प्रदान किया जाना

उपाधि	अवधि	एनएसक्यूएफ स्तर
डिप्लोमा	1 वर्ष	5
एडवांस डिप्लोमा	2 वर्ष	6
व्यवसाय कार्यक्रम में स्नातक	3 वर्ष	7

उपर्युक्त कार्यक्रमों में प्रवेश अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा।

2. पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कूट संख्या एवं सीटों की संख्या

नोट : अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे न्यूनतम अर्हता शर्तें, आयु सीमा, पाठ्यक्रम अवधि, शुल्क संरचना इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए खण्ड-1 देखें।

1. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम कूट संख्या लिखना आवश्यक होगा।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। तथापि, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए सम्मिलित कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनका विवरण उपखण्ड 15 (1) पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है, संबंधित कॉमन प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आने वाले उन पाठ्यक्रमों के लिए एक ही पाठ्यक्रम कूट आवंटित किया गया है।

3. आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम का नाम भरते समय अभ्यर्थी संबंधित सामान्य प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आने वाले किसी भी एक पाठ्यक्रम का नाम भर सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है-

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
1. कला संकाय					
1.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
(i)	बी.ए. (आनर्स) कला	बीएचयू परिसर (पुरुष)	-	614	131
		महिला महाविद्यालय (महिला)	-	230	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	307	
		वसन्त कन्या महाविद्यालय (महिला)	-	230	
		वसन्त महिला महाविद्यालय (महिला)	-	330	
		डीएवी पीजी कॉलेज (पुरुष एवं महिला)	-	246	
1.2 अन्य वृत्तिक पाठ्यक्रम					
(i)	बी.पी. एड (शारीरिक शिक्षा में स्नातक)	शारीरिक शिक्षा विभाग (पुरुष एवं महिला)	-	50	152
1.3 व्यावसायिक पाठ्यक्रम					
(i)	खुदरा प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पुरुष एवं महिला)	-	50	188
(ii)	लॉजिस्टिक प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पुरुष एवं महिला)	-	50	188
(iii)	आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पुरुष एवं महिला)	-	50	188
(iv)	खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन व्यवसाय में स्नातक	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पुरुष एवं महिला)	-	50	189
(v)	चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी व्यवसाय में स्नातक	डीडीयू कौशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पुरुष एवं महिला)	-	50	189

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
2. सामाजिक विज्ञान संकाय					
2.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
(i)	बी.ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान	बीएचयू परिसर (पुरुष)	-	460	132
		महिला महाविद्यालय (महिला)	-	154	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	307	
		वसन्त कन्या महाविद्यालय (महिला)	-	200	
		वसन्त महिला महाविद्यालय (महिला)	-	169	
		डीएवी पीजी कॉलेज (पुरुष एवं महिला)	-	261	

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
3. वाणिज्य संकाय					
3.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
(i)	बी.कॉम. (आनर्स)	बीएचयू परिसर (पुरुष व महिला)	-	230	133
		वसन्त महिला महाविद्यालय (महिला)	-	77	
		डीएवी पीजी कॉलेज (पुरुष एवं महिला)	-	184	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	77	
		राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा*	-	92	

नोट* : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में बी.कॉम. (आनर्स) पाठ्यक्रम पेड सीट श्रेणी के अंतर्गत है जिसकी शुल्क संरचना रु. 25,000/- प्रतिवर्ष + बी.कॉम. (आनर्स) पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमित शुल्क है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्थान के चयन/वरीयता का विकल्प देना होगा तथा प्रवेश मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जायेगा।

3.2 विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम					
(i)	बी.कॉम. (आनर्स) वित्तीय बाजार प्रबंधन*	मुख्य परिसर/ राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर (पुरुष व महिला)	25/25	50/50	133

***नोट** : बी.कॉम. (आनर्स) वित्तीय बाजार प्रबंधन : यह पाठ्यक्रम पेड सीट श्रेणी के अंतर्गत केवल राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में संचालित किया जाएगा जिसकी शुल्क संरचना रु. 25,000/- प्रतिवर्ष + विश्वविद्यालय की सामान्य नियमित शुल्क है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय बी.कॉम. (आनर्स)/ बी.कॉम. (आनर्स) वित्तीय बाजार प्रबंधन के चयन/वरीयता का विकल्प देना होगा तथा प्रवेश मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जायेगा; और यदि बी.कॉम. (आनर्स) वित्तीय बाजार प्रबंधन पाठ्यक्रम का चयन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम सीट से कम होगी तो उस शैक्षणिक सत्र में यह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा।

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
4. विज्ञान संस्थान					
4.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
(i)	बी.एससी. (आनर्स) गणित वर्ग	विज्ञान संकाय (पुरुष व महिला)	-	460	181
		महिला महाविद्यालय (महिला)	-	77	
(ii)	बी.एससी. (आनर्स) जीव विज्ञान वर्ग	विज्ञान संकाय (पुरुष व महिला)	-	307	182
		महिला महाविद्यालय (महिला)	-	154	

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
5. शिक्षा संकाय					
5.1 वृत्तिक पाठ्यक्रम					
(i) अ	बी.एड. भाषा	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	24	564
		राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर (पुरुष व महिला)	-	12	
		वसन्ता महिला महाविद्यालय (महिला)	-	12	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	12	
ब	बी.एड. विशेष शिक्षा (द.बा.)-भाषा	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	06	
	बी.एड. विशेष शिक्षा (श्र.बा.)-भाषा	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	06	
(ii) अ	बी.एड. विज्ञान	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	26	565
		राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर (पुरुष व महिला)	-	13	
		वसन्ता महिला महाविद्यालय (महिला)	-	13	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	13	
ब	बी.एड. विशेष शिक्षा (द.बा.)-विज्ञान	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	07	
	बी.एड. विशेष शिक्षा (श्र.बा.)-विज्ञान	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	07	
(iii) अ	बी.एड. गणित	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	24	567

		राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर (पुरुष व महिला)	-	12	
		वसन्ता महिला महाविद्यालय (महिला)	-	12	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	12	
ब	बी.एड. विशेष शिक्षा (द.बा.)-गणित	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	04	
	बी.एड. विशेष शिक्षा (श्र.बा.)- गणित	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	04	
(iv) अ	बी.एड. सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	26	568
		राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर (पुरुष व महिला)	-	13	
		वसन्ता महिला महाविद्यालय (महिला)	-	13	
		आर्य महिला पीजी कॉलेज (महिला)	-	13	
ब	बी.एड. विशेष शिक्षा (द.बा.)- सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	08	
	बी.एड. विशेष शिक्षा (श्र.बा.)- सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी	बीएचयू कमच्छा परिसर (पुरुष व महिला)	-	08	

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
6. कृषि विज्ञान संस्थान					
6.1 अन्य वृत्तिक पाठ्यक्रम					
(i)	बी.एससी. (कृषि)	मुख्य परिसर (पुरुष व महिला)	-	123	135
(ii)	बी.एससी. (कृषि)*- आरजीएससी	राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, मीरजापुर (पुरुष व महिला)	25	40	
<p>नोट* : राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में बी.एससी. (कृषि) विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत है जिसकी शुल्क संरचना रु. 25,000/- प्रति सेमेस्टर + बी.एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमित शुल्क है। अधिकतम/न्यूनतम सीटें 40/25 हैं। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय स्थान के चयन/वरीयता का विकल्प देना होगा तथा प्रवेश मेरिट एवं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किया जायेगा और यदि बी.एससी. (कृषि) पाठ्यक्रम का चयन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित न्यूनतम सीट से कम होगी तो उस शैक्षणिक सत्र में यह पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा।</p>					

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
7. विधि संकाय					
7.1 अन्य वृत्तिक पाठ्यक्रम					
(i)	एलएलबी (आनर्स) (विधि स्नातक)	मुख्य परिसर (पुरुष व महिला)	-	230	151
(ii)	बीए एलएलबी (आनर्स)*	मुख्य परिसर (पुरुष व महिला)	30	60	137
*नोट : बीए एलएलबी (आनर्स) पाठ्यक्रम विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत है मुख्य परिसर, विधि संकाय में संचालित किया जाता है जिसकी शुल्क संरचना रु. 60,000/- प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को इस पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित नियमित शुल्क का भी भुगतान करना होगा। अधिकतम/न्यूनतम सीटें 30/60 हैं।					
	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
8. संगीत एवं मंच कला संकाय					
8.1 अन्य वृत्तिक पाठ्यक्रम					
i.	बी.पी.ए. (वाद्य संगीत : सितार - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)	वाद्य संगीत विभाग	-	15	171
ii.	बी.पी.ए. (वाद्य संगीत: बाँसुरी - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		-	15	172
iii.	बी.पी.ए. (वाद्य संगीत : वायलिन - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		-	15	173
iv.	बी.पी.ए. (वाद्य संगीत : तबला - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)		-	15	174
v.	बी.पी.ए. (नृत्य: कथक - भारतीय शास्त्रीय नृत्य)	नृत्य विभाग	-	15	175
vi.	बी.पी.ए. (नृत्य: भरतनाट्यम - भारतीय शास्त्रीय नृत्य)		-	15	176
vii.	बी.पी.ए. (कंठ संगीत - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत)	गायन विभाग	-	15	177

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
9. दृश्य कला संकाय					
9.1 अन्य वृत्तिक पाठ्यक्रम					
(i)	बी.एफ.ए. (ललित कला में स्नातक)	बीएचयू मुख्य परिसर	-	77	180

	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम संचालन का स्थान	सीटें		पाठ्यक्रम कूट संख्या
			न्यूनतम	अधिकतम	
10. संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय					
10.1 सामान्य पाठ्यक्रम					
(i)	शास्त्री (आनर्स)	बीएचयू मुख्य परिसर	-	211	187

नोट* : बी.कॉम./बी.कॉम. (वित्तीय बाजार प्रबंधन) पाठ्यक्रम [ऊपर दिए गए 3.2 (i) पर], बी.एड./बी.एड.-विशेष शिक्षा [ऊपर दिए गए 5.1(i)- (iv) पर] तथा बी.एससी. (कृषि) [ऊपर दिए गए 6.2 (ii) पर], व्यवसाय स्नातक (खुदरा प्रबंधन)/व्यवसाय स्नातक (लॉजिस्टिक प्रबंधन)/व्यवसाय स्नातक (आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन) (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत) [ऊपर दिए गए 1.3 (i)- (iii) पर] तथा खाद्य प्रसंस्करण व प्रबंधन में व्यवसाय स्नातक/ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में व्यवसाय स्नातक (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत) [ऊपर दिए गए 1.3 (iv)- (v) पर] हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम-वरीयता एवं प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

3. अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) और शारीरिक विकलांग (शावि) के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हता में छूट

(i) उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों हेतु अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) के अभ्यर्थियों के लिए [एलएल.बी./बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) को छोड़कर], अर्हता परीक्षा के योग में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, परन्तु उन्हें अर्ह परीक्षा में पास होना चाहिए तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए।

(ii) एलएल.बी./बी.ए. एलएल.बी. (आनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक अजा/जनजाति के अभ्यर्थियों को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की संस्तुतियों के अनुसार अर्हता परीक्षा के सभी विषयों के कुल योग में न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांक होना चाहिए।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में अर्हता परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांकों के कुल योग में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी।

4. शारीरिक विकलांग (शा.वि.)/अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट

जिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऊपरी आयु सीमा निर्धारित है उनमें अ.जा./अ.ज.जा. तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट है।

5. न्यूनतम अर्हता शर्तों से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

- i. अर्हता परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते/सकती हैं और प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते/सकती हैं। इसके अतिरिक्त, जिन छात्रों को किसी पाठ्यक्रम में अस्थायी प्रवेश के लिए काउन्सिलिंग हेतु बुलाया गया है किन्तु वे काउन्सिलिंग के समय अपेक्षित न्यूनतम अर्हता परीक्षा का अंकपत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें भी कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश लेने की अनुमति होगी। फिर भी, शर्त आधारित प्रवेश की शर्तें होंगी- (अ) ऐसे अभ्यर्थियों को यह वचन (अन्डरटेकिंग) देना होगा कि वे न्यूनतम अर्हता परीक्षा का मूल अंकपत्र 31 अक्टूबर 2016 से पहले प्रस्तुत कर देंगे। (ब) अर्हता पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पिछली परीक्षाओं के अंकपत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी ने कुल अंकों (उदाहरणार्थ 50 प्रतिशत) में से निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हैं (अर्ह परीक्षा के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा को छोड़कर); (एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी नहीं है)। यदि वे 31 अक्टूबर 2016 से पूर्व अपेक्षित अंकपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा और वे शर्त आधारित प्रवेश हेतु अदा किये गये शुल्क की वापसी का दावा नहीं करेंगे।
- ii. ऐसे अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षा द्वारा पूर्व में प्रवेश लिए हों और उस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह रहे हों, उन्हें विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उसी पाठ्यक्रम के उन्हीं विषय समूहों में सम्मिलित होने हेतु अनुमति नहीं होगी जब तक कि सम्बन्धित संकाय के आर्डिनेंस में इस तरह की अनुमति न दी गयी हो। तथापि, उक्त पाठ्यक्रम के विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। पुनश्च, ऐसे अभ्यर्थी जो सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उपस्थिति के अभाव में अर्ह नहीं थे या समय से परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किए रहे हों, उन्हें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी यदि वे अन्यथा अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर या उच्चतर वर्ष) में पंजीकृत हों उन्हें भी उक्त पाठ्यक्रम या विषय समूह परिवर्तन हेतु प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति नहीं होगी।
- iii. यदि अभ्यर्थी ने अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की है जहाँ ग्रेड प्वाइंट दिये जाते हैं तथा :
(अ) यदि ग्रेडशीट ग्रेड प्वाइंट के समकक्ष अंक प्रतिशत को नहीं दर्शाता है तो अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान से समकक्ष अंक प्रतिशत का प्रमाण पत्र अथवा अंक प्रतिशत निकालने सम्बन्धी सूत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ब) यदि ग्रेडशीट पर ग्रेड प्वाइंट से अंकों का प्रतिशत निकालने का सूत्र या उसका प्रतिदर्श दिया हो, तो अभ्यर्थी को उस ग्रेडशीट या उपाधि के दोनों पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- iv. सम्पूर्ण योग के प्रतिशत में अभ्यर्थी को प्राप्त ग्रेस मार्क या कृपांक भी सम्मिलित होंगे। सम्पूर्ण योग में अंकों के प्रतिशत की गणना अर्ह परीक्षा की अन्तिम वर्ष के अंकपत्र के आधार पर की जायेगी। तथापि स्नातक परीक्षा के सम्बन्ध में जहां अंकपत्र केवल आनर्स विषय के आधार पर दो अथवा दो से अधिक प्रकार के हैं अथवा तीनों वर्षों में अध्ययन किये गये सभी विषयों पर आधारित हैं, सम्पूर्ण योग की गणना तीन वर्ष में अध्ययन किये गये सभी विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायेगी। उदाहरणार्थ- बीएचयू से बीए आनर्स/बीएससी आनर्स के उत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में विगत वर्षों में अंतिम अंकपत्र दो तरह के अर्थात् 1000 अंक अथवा 1800 अंक पर आधारित थे। ऐसे मामलों में, सम्पूर्ण योग की गणना पूर्णांक 1800 के आधार पर की जायेगी न कि 1000 के आधार पर। इसके अतिरिक्त, जहां अन्तिम अंकपत्र केवल

आनर्स विषय पर आधारित है किन्तु अभ्यर्थी ने पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अन्य ऐच्छिक/समान विषय का भी अध्ययन किया है, इन विषयों के अंक भी सम्पूर्ण योग के प्रतिशत की गणना में शामिल किये जाएंगे। इसके बावजूद किसी तरह की अस्पष्टता/व्याख्या सम्बन्धी दुरुहता के मामले में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

v. (अ) केवल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि/प्रमाण पत्र ही समकक्ष उपाधि/प्रमाण पत्र माने जायेंगे।

(ब) केवल इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दूरस्थ शिक्षा परिषद्/भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) को ही दूरस्थ शिक्षा की उपाधियां/प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, किन्तु उन्हें इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (इग्नू) की दूरस्थ शिक्षा परिषद् अथवा अन्य मान्य परिषद् से पाठ्यक्रम की मान्यता/अनुमोदन संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

(स) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों के 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम बीएचयू के बी.ए. (आनर्स) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्य होंगे।

vi. पाठ्य नियमावली में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, शैक्षणिक सत्र से सम्बन्धित सूचना पुस्तिका में वर्णित अपेक्षित पात्रता के आधार पर ही प्रवेश लिया जायेगा।

vii. अभ्यर्थियों द्वारा जाली/फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ अथवा धोखाधड़ी के जरिए जमा किए गए आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बाद की किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।

viii. अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रवेश के समय उपाधि/अंक पत्र/प्रमाण पत्र के सत्यापन, अर्हता परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्र की वैधता तथा पूर्व में विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग न करने के अधीन प्रदान की जाती है।

ix. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा यूईटी में उत्तीर्णक अर्जित कर लेने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा जब तक कि वह पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्हता शर्तों को पूरा न करता हो। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्धारित अर्हता शर्तों को पूर्ण करने के प्रति पूर्णरूपेण आश्वस्त हो जाना चाहिये।

x. यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, जो अन्यथा न्यूनतम अर्हता-शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वह बाद में इसे आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा/सकेगी कि वह अर्हता-शर्तें पूरी करता/करती है।

विश्वविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश निरस्त/अस्वीकृत करने का अधिकार है, यदि यह पाया जाता है कि :

- i. अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूरी न करता हो।
- ii. फर्जी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं या तथ्यों को छिपया गया हो।
- iii. इसी प्रकार के कोई दूसरे वैध कारण हों।

xi. इस विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुका अभ्यर्थी एक ही समय में इस विश्वविद्यालय अथवा किसी दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान से कोई अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अर्ह नहीं है।

xii. अभ्यर्थी जिस किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अर्ह है, उन सभी के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्त कि प्रवेश परीक्षा अलग-अलग तिथियों पर हो (कृपया प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम देखें)।

6. आरक्षण

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :

प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिये (15 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति के लिये (7.5 प्रतिशत) सीटें आरक्षित रहेंगी। इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी का अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का 'बार काउंसिल ऑफ इण्डिया' की संस्तुतियों के अनुसार अर्हता परीक्षा में तीनों वर्षों में सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित होने का स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं :

(अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।

(ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।

(द) उस क्षेत्र का प्रखण्ड अधिकारी (सब डिविजनल आफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो।

(य) प्रशासक/प्रशासक-सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिये कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए : (अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है? (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है, और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

तथापि, यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी में प्रवेश लेने का इच्छुक है (उदाहरणार्थ: शारीरिक विकलांगता/कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग आदि) तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग :

ओबीसी श्रेणी (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जायेंगे। ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी, एस.सी./एस.टी. के मामले में उपरोक्त धारा 6 (i) के अनुसार ही होंगे। ओबीसी प्रमाण पत्र में केवल वही जातियाँ होंगी जो केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, ओबीसी प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमिलेयर के अन्तर्गत नहीं हैं। तथापि, यदि कोई ओबीसी अभ्यर्थी किसी दूसरी श्रेणी (उदाहरणार्थ- शारीरिक विकलांग/कर्मचारी प्रतिपाल्य इत्यादि) के अन्तर्गत प्रवेश लेना चाहता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता को पूर्ण करना होगा।

(iii) शारीरिक विकलांग :

शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों हेतु 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी : दृष्टि विकलांगता (1 प्रतिशत) + बधिर विकलांगता (1 प्रतिशत) + अस्थि विकलांगता (1 प्रतिशत) (क्षैतिज स्तर पर आरक्षण)। ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों

को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। सम्भावित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को बी.एच.यू. द्वारा गठित चिकित्सा समिति (मेडिकल बोर्ड) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और यह चिकित्सा समिति विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किसी अन्य प्रमाणित संस्था को यदि आवश्यक हुआ तो इस परीक्षण कार्य हेतु सन्दर्भित कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा समिति का निर्णय अंतिम होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर होगी।

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए 'लेखक' :

प्रत्येक दृष्टिहीन अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा 'लेखक' की व्यवस्था की जायेगी। 'लेखक' की शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगी। ऐसे दृष्टिहीन अभ्यर्थियों अपनी प्रवेश परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर परीक्षा-नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को आवेदन करें। इसके लिये अभ्यर्थी को परीक्षा नियंता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर के एक फोटो (जैसी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र पर लगायी है), चिपका कर जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष रोग-विषयक जांच के लिए उपस्थित होना होगा और 'लेखक' देने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सलाह/संस्तुति पर विचार किया जायेगा। ऐसे सभी दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश परीक्षा वाराणसी में केवल एक ही केन्द्र पर होगी।

टिप्पणी : जहां कहीं सीटों की संख्या कम होगी, वहां आरक्षित वर्ग की सीटों की गणना हेतु उन सीटों को एक वर्ग में संयुक्त कर गणना करने के लिए विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों की तरह मानने पर विचार करना :

किसी पाठ्यक्रम में, यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का योग्यताक्रम सामान्य वर्ग में अंतिम योग्यताक्रम पर प्रविष्ट अभ्यर्थी के योग्यता क्रम से अधिक या समान हो, तो आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी समझा जायेगा। पुनः यदि आरक्षित श्रेणी के किसी मेधावी अभ्यर्थी को सामान्य अर्हता मानदण्डों (न्यूनतम अर्हता शर्तों और/अथवा आयु) में छूट के द्वारा प्रवेश दिया जाता है अथवा उसे उच्चतर वरीयता के पाठ्यक्रम (आनर्स विषय, विषय समूह, स्पेशलाइजेशन का आवंटन, यदि कोई हो) में प्रवेश दिया जाता है जिसे वह सामान्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं प्राप्त कर सकेगा तो उसका प्रवेश तत्सम्बन्धी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा तथा इसके फलस्वरूप सामान्य श्रेणी में सृजित सीट को मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।

7. अतिरिक्त सीटें :

टिप्पणी - निम्नलिखित अतिरिक्त कोटा के अन्तर्गत किसी भी अतिरिक्त सीट पर प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित योग्यता शर्तों के समान ही योग्यता पूरी करते हों।

- i. **बीएचयू कर्मचारी वार्ड :** विश्वविद्यालय के वर्तमान सेवारत स्थायी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन कर्मचारी भी सम्मिलित) के पुत्र/पुत्रियों (विवाहित पुत्री भी शामिल) अथवा जो परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से ठीक एक सत्र पिछले शैक्षणिक सत्र में सेवारत रहे हों, हेतु सभी पाठ्यक्रमों (विशेष पाठ्यक्रम भी सम्मिलित) में 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होंगे बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों और आवेदन पत्र में कर्मचारी वार्ड श्रेणी से संबंधित होने का दावा किए हों तथा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। बीएचयू कर्मचारी वार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि काउन्सिलिंग के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा जारी विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इसी प्रकार, ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में स्थायी रूप से इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/किसी महिला महाविद्यालय में कार्यरत हैं या प्रवेश परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से एक सत्र पूर्व में सेवारत थे उनकी पुत्रियों के लिये (पुत्र-

पुत्रियों के लिये डी.ए.वी. पी. जी. कालेज में हों/सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय में 15 प्रतिशत अतिरिक्त स्थान आरक्षित होंगे, बशर्ते अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता/करती हो एवं प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में कर्मचारी वार्ड कोटा का प्रावधान है, मौजूदा कर्मचारी वार्ड हेतु उपलब्ध सीटों के अलावा प्रत्येक समूह हेतु एक अतिरिक्त सीट सृजित करके निम्नलिखित दो समूहों-सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारी के अंतर्गत कर्मचारी वार्ड का लाभ प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में उक्त दोनों समूहों के प्रतिपाल्यों की मेरिट, कर्मचारी वार्ड कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त अंतिम अभ्यर्थी से नीचे न हो :

अ. इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी तथा

ब. काहिविवि के मृत कर्मचारी और पुनर्नियुक्त/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिपाल्यों हेतु, बशर्ते वे मृत कर्मचारी/ सेवानिवृत्त कर्मचारी आगामी शैक्षणिक सत्र तक 65 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों।

(नोट: 15 प्रतिशत की गणना में यदि कोई अपूर्ण संख्या आती है तो उसे अगले पूर्ण संख्या में परिवर्तित कर दिया जायेगा)

- ii. **पेड सीट** : कतिपय पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 'पेड सीट' (कुल सीटों की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं) का प्रावधान है जिसकी विस्तृत जानकारी प्रवेश के समय संबद्ध संकाय/विभाग में उपलब्ध होगी। तथापि, विशेष पाठ्यक्रमों हेतु ऐसे प्रावधान नहीं हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्बन्धित संकाय/विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों की अतिरिक्त पेड सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु लगातार सम्पर्क बनाये रखें क्योंकि कुछ पाठ्यक्रमों में पेड सीट के अन्तर्गत प्रवेश हेतु यूईटी इंडेक्स के आधार पर सभी अभ्यर्थियों अलग से काल लेटर प्रेषित करने के बजाय सूचनाएं सूचना पट्ट पर चिपका दी जाती हैं।
- iii. **आई.सी.ए.आर. सीट** : बी.एससी. (कृषि) में प्रवेश हेतु आई.सी.ए.आर. द्वारा आयोजित सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के आधार पर आई.सी.ए.आर. द्वारा नामित अभ्यर्थियों हेतु 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी।
- iv. **स्पोर्ट्स सीट** : विभिन्न संकायों/संस्थानों में स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत अतिरिक्त सीटें नीचे दिये गये विवरणानुसार उपलब्ध होंगी :

क्रम.सं.	संस्थान/संकाय/महाविद्यालय	स्पोर्ट्स सीट (अतिरिक्त सीट)*
1.	कला*, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान	10 प्रत्येक में*
2.	वाणिज्य	5
3.	कृषि, शिक्षा, संगीत एवं मंच कला, दृश्य कला, सं.वि. धर्म विज्ञान, विधि	2 प्रत्येक में
4.	महिला महाविद्यालय	6 (आर्ट्स-2, सोशल साइंस-2, बी.एससी. (मैथ)-1 और बी. एससी. (बायो)-1)
5.	डीएवी पीजी कालेज	6 (कला, वाणिज्य तथा सामाजिक विज्ञान प्रत्येक में 2)
6.	वसन्त कन्या महाविद्यालय	02
	वसन्त कालेज फार वीमेन	02
	आर्य महिला पी0जी0 कालेज	02

टिप्पणी : संकाय के विभाग द्वारा संचालित एकल पाठ्यक्रम हेतु संकाय के लिए निर्धारित अतिरिक्त स्पोर्ट्स सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं होगी।

टिप्पणी : विशेष पाठ्यक्रमों हेतु ऐसे प्रावधान नहीं हैं।

- केवल विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद् के अनुमोदन के आधार पर ही अभ्यर्थियों को स्पोर्ट्स सीट में प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा ।
- स्पोर्ट्स सीट पर प्रवेश के लिए कोई भी अभ्यर्थी अर्ह होगा यदि : (क) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण हो; (ख) सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो; (ग) एआईयू के सहभागिता नियमों को पूरा करता हो; (घ) अर्हता परीक्षा तक कम से कम राष्ट्रीय (सीनियर/जूनियर/सब जूनियर/यूथ/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) स्तर की भागीदारी किया हो या जोनल/इन्टर जोनल/डायरेक्ट ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट/एआईयू चैम्पियनशीप गेम्स में चौथे स्थान तक की भागीदारी किया हो।
- इस प्रकार, स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थी को संबंधित खेल/खेलकूद कार्यक्रम में प्रैक्टिकल टेस्ट जैसे- 40 अंक का संशोधित एएपीएचइआर युवा उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा तथा 60 अंक का खेलने की अर्हता परीक्षा में अर्ह होना होगा। तथापि, तीरंदाजी, शतरंज तथा निशानेबाजी से संबंधित अभ्यर्थियों को 40 अंक के संशोधित एएपीएचइआर युवा उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा से छूट होगी। **अभ्यर्थी को संशोधित एएपीएचइआर युवा उपयुक्तता (फिटनेस) परीक्षा (तीरंदाजी, शतरंज तथा निशानेबाजी हेतु लागू नहीं) तथा खेलने की अर्हता परीक्षा (तीरंदाजी, शतरंज तथा निशानेबाजी के अभ्यर्थियों को इस में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है) यह प्रैक्टिकल टेस्ट परीक्षा नियंता के परामर्श से विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।**
- स्पोर्ट्स सीट के अन्तर्गत प्रवेश के लिए योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के योग्यताक्रम का निर्धारण स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र के उपलब्धियों पर आधारित अंको के आधार पर किया जायेगा। स्पोर्ट्स उपलब्धि अंकों की गणना करते समय केवल अभ्यर्थी के उच्चतम स्पोर्ट्स उपलब्धि अंक/प्रदर्शन पर ही विचार किया जायेगा।

5.

विभिन्न श्रेणियों में खेलकूद (स्पोर्ट्स) उपलब्धि अंक निम्नानुसार है :								
अ- राष्ट्रीय (सीनियर/जूनियर/सब जूनियर/यूथ/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)			ब-एआईयू द्वारा आयोजित आल इण्डिया/इन्टर जोनल इन्टर यूनिवर्सिटी			स-एआईयू द्वारा आयोजित जोनल इन्टर यूनिवर्सिटी		
स्थान	टीम	व्यक्तिगत	स्थान	टीम	व्यक्तिगत	स्थान	टीम	व्यक्तिगत
प्रथम स्थान	30	35	प्रथम स्थान	30	35	प्रथम स्थान	15	20
द्वितीय स्थान	25	30	द्वितीय स्थान	25	30	द्वितीय स्थान	10	15
तृतीय स्थान	20	25	तृतीय स्थान	20	25	तृतीय स्थान	08	10
केवल सहभागिता	10	10	चतुर्थ स्थान	15	15	चतुर्थ स्थान	05	08

- संकाय में अभ्यर्थियों के खेलकूद (स्पोर्ट्स) उपलब्धि अंक समान होने की दशा में पारस्परिक योग्यता क्रम का निर्धारण यूईटी इंडेक्स के अनुसार होगा और यदि यूईटी इंडेक्स भी समान हो तो इसका निर्धारण अर्हता परीक्षा के सम्पूर्ण अंक के प्रतिशत द्वारा होगा। यदि ये भी समान हों तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

टिप्पणी :

अ. जिन अभ्यर्थियों ने दुनिया के विश्वविद्यालयी खेलों में भारत या भारतीय (सम्मिलित) विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व किया है तो उन्हें सीधे प्रवेश दिया जायेगा बशर्ते कि वे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पूर्व आवेदन किये हों।

ब-एआईयू से अनुमोदित न होने या विश्वविद्यालय के पास समुचित संसाधन की अनुपलब्धता के कारण निम्नलिखित गेम्स/ खेलकूद प्रमाण पत्र विचार नहीं किये जायेंगे:

[बाल बैडमिन्टन (एम/डब्लू), बेस बाल (एम/डब्लू), केनोइंग तथा कयाकिंग (एम/डब्लू), साइकिलिंग (एम/डब्लू), फेंसिंग (एम/डब्लू), कोर्टबाल (एम/डब्लू), रोइंग (एम/डब्लू), साफ्टबाल (एम/डब्लू), याचिंग (एम/डब्लू), टेनिकॉर्ट (एम/डब्लू), कराटे (एम/डब्लू), कैरम (एम/डब्लू), सर्किल कबड्डी (एम/डब्लू), गटका (एम/डब्लू)]

- v. **विदेशी नागरिक** : विदेशी नागरिकों हेतु 15 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हैं जिनमें 5 प्रतिशत सीटें अप्रवासी भारतीय नागरिकों (एनआरआई) [भारतीय मूल के नागरिक (पी.आइ.ओ.)] के बच्चों द्वारा और 5 प्रतिशत खाड़ी तथा दक्षिण एशियाई देशों में कार्यरत भारतीयों के बच्चों द्वारा भरी जायेंगी। इसकी विस्तृत जानकारी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के कार्यालय- सी/3/3, टैगोर हाउस, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005 से प्राप्त की जा सकती है (कृपया हमारी बीएचयू की वेबसाइट: www.bhu.ac.in देखें)।

खण्ड-ब

8. आवेदन पत्र

विश्वविद्यालय ने www.bhuonline.in डोमेन नाम से अपना प्रवेश परीक्षा पोर्टल तैयार किया है। इसका लिंक बी.एच.यू. की वेबसाइट (www.bhu.ac.in) पर भी उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाइन बनायी गयी है। तदनुसार, अभ्यर्थी ध्यान दें कि यूईटी 2016 सूचना पुस्तिका एवं आवेदन पत्र का विक्रय नहीं किया जाएगा (क्योंकि ऑफलाइन मोड नहीं होगा) और प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा तथा पोर्टल पर दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) या (www.bhu.ac.in) देखें।

9. आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा:

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा शुल्क	
	अनुजा/जनजा	अन्य
(इस सूचना पुस्तिका में उल्लिखित) सभी पाठ्यक्रम - [शास्त्री (आनर्स) को छोड़कर]	250.00 रुपये	500.00 रुपये
शास्त्री (आनर्स)	100.00 रुपये	200.00 रुपये

तथापि, अभ्यर्थी यदि यूईटी 2016 के अन्तर्गत 1 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करता है तो उसे बाद के प्रत्येक आवेदन पत्र (प्रथम आवेदन पत्र के बाद) हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क कमतर दरों पर निम्नानुसार देय होंगी :

पाठ्यक्रम	प्रवेश परीक्षा शुल्क	
	अनुजा/जनजा	अन्य
(इस सूचना पुस्तिका में उल्लिखित) सभी पाठ्यक्रम	100.00 रुपये	200.00 रुपये

आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान का तरीका

अभ्यर्थी को यूईटी 2016 का आवेदन पत्र आनलाइन भरना है, क्योंकि मुद्रित सूचना पुस्तिका व आवेदन पत्र विश्वविद्यालय द्वारा विक्रय नहीं किये जायेंगे। आनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए निम्नलिखित विकल्प अपनाना है :

- (अ) प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा आनलाइन भुगतान।
(ब) एचडीएफसी बैंक की किसी भी शाखा में "चालान" के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान (केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय सुविधा उपलब्ध) : आवेदन पत्र भरने और इसे जमा करने के पश्चात भुगतान हेतु इस विकल्प का चयन करने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान फार्म प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आउट लिए गये चालान में अभ्यर्थी, काहिविवि के बैंक खाता जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा और जमा की जाने वाली शुल्क राशि इत्यादि सभी आवश्यक विवरण होंगे। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में (केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय) अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में अन्य प्रक्रिया खंड 12 में दी गई है।

टिप्पणी :

- (i) अनुजा/जनजा के अभ्यर्थियों हेतु रियायती दर पर आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित एक बार प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र अनुजा/जनजा श्रेणी के अन्तर्गत विचार किए जाएंगे।
(ii) आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में न तो वापस की जाएगी और न दूसरे पाठ्यक्रम हेतु अन्तरित की जाएगी और न ही आगामी वर्षों के लिए आरक्षित की जाएगी।

10. महत्वपूर्ण तिथियां

प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर यूईटी-2016 ऑनलाइन फार्म की उपलब्धता	:	29.01.2016
आवेदन पत्र ऑनलाइन की जमा करने की अंतिम तिथि	:	29.02.2016

11. प्रवेश परीक्षा केन्द्र

परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा, बशर्ते कि सम्बन्धित केन्द्र पर अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या हो :

वाराणसी	मीरजापुर*	गोरखपुर	लखनऊ	कोलकाता	दिल्ली	हैदराबाद	चेन्नई
भोपाल	बड़दरा	गुवाहाटी	दीमापुर	कोच्ची	जयपुर	इलाहाबाद	भुवनेश्वर

*राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर

टिप्पणी :

1. बीपीए, बीएफए और बी.पी.एड के अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ :

- (i) बीपीए, बीएफए और बी.पी.एड. के लिए परीक्षा का लिखित भाग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा। तथापि, बी.पी.एड. के लिए शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा [खण्ड 15 (ii) देखें, बीपीए के लिए एक व्यावहारिक परीक्षा खण्ड 15 (xiv) देखें] तथा बी.एफ.ए. के लिए दो व्यावहारिक परीक्षाएँ [खण्ड 15 (xiv) देखें] केवल वाराणसी परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जायेंगी।
(ii) प्रत्येक श्रेणी में लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर केवल वाराणसी केन्द्र पर शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा/व्यावहारिक परीक्षा में भाग लेने हेतु **बी.पी.एड.** पाठ्यक्रम के लिए **सीटों के छः गुना**, **बीपीए** पाठ्यक्रम

के लिए सीटों के चार गुना, तथा बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम के लिए सीटों के चार गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।

(iii) शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा/व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को कम से कम 2-3 दिनों तक के लिए रुकने की व्यवस्था करके आना होगा।

2. सभी अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ :

- i. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह वाराणसी परीक्षा केन्द्र को छोड़कर किसी भी अन्य केन्द्र को बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है। अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम से पाँच केन्द्रों का चयन करना चाहिए।
- ii. प्रवेश पत्र में आबंटित परीक्षा केन्द्र का उल्लेख होगा। अभ्यर्थियों को ध्यान रहे कि एक बार आबंटित परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- iii. परीक्षा केन्द्र आबंटन का अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास होगा।
- iv. अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या एवं किसी अन्य कारण से कोई भी बाह्य परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्र आबंटित किया जायेगा।
- v. दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को केवल वाराणसी केन्द्र आबंटित किया जायेगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : अभ्यर्थी ध्यान रखें कि प्रवेश परीक्षा केन्द्र के निरस्तीकरण/प्रवेश परीक्षा के आयोजन की तिथि/पाठ्यक्रम का संचालन वापस लेने/प्रवेश परीक्षा आयोजन संबंधी अधिसूचना/औपबन्धिक उत्तर कुंजी का प्रदर्शन इत्यादि समेत इस सूचना पुस्तिका की सामग्री में कोई भी बदलाव केवल बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अद्यतन जानकारी के लिए वे कृपया उक्त बेवसाइट का नियमित तौर पर अवलोकन करें।

12. आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश :

यूईटी 2016 हेतु आवेदन पत्र बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र आनलाइन भरा व जमा किया जाना है। आवेदन पत्र भरने, आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने सम्बन्धी विस्तृत अनुदेश बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर भी दिये गये हैं। अभ्यर्थी को अपना फोटो तथा हस्ताक्षर पोर्टल पर दिये गये अनुदेशों के अनुरूप स्कैन करके अपलोड करना होगा।

आनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश शुल्क के भुगतान हेतु निम्न विकल्प उपलब्ध होंगे :

- (अ) प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड द्वारा आनलाइन भुगतान
- (ब) एचडीएफसी बैंक की भी किसी शाखा में "चालान" के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान (केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय सुविधा उपलब्ध) : आवेदन पत्र भरने और इसे जमा करने के पश्चात भुगतान हेतु इस विकल्प का चयन करने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा पोर्टल से चालान फार्म प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आउट लिए गये चालान में अभ्यर्थी, काहिविवि के बैंक खाता जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा किया जायेगा और जमा की जाने वाली शुल्क राशि इत्यादि सभी आवश्यक विवरण होंगे। अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार एचडीएफसी बैंक के किसी शाखा में (केवल बैंक खुले होने के दिन बैंक के कामकाज के समय) अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा और और बैंक चालान की एक प्रति अपने पास रखेगा तथा इसकी दूसरी प्रति जिसमें प्रवेश परीक्षा शुल्क के भुगतान सम्बन्धी आवश्यक विवरण उल्लिखित होंगे, अभ्यर्थी को वापस दे देगा। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि वह इस चालान की प्रति को रिकार्ड के लिए अपने पास रखे। प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का पिंट आउट ले सकेगा।

नोट : उपरोक्त दिए गए तरीकों में से किसी एक के द्वारा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद ही यूईटी आवेदन पत्र सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र आनलाइन प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/परीक्षा शुल्क का सफलता पूर्वक भुगतान करने के पश्चात आनलाईन भरे गये फार्म (जिसमें अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विवरण तथा आवेदन शुल्क के भुगतान संबंधी लेनदेन का ब्यौरा शामिल है) का प्रिंट आउट प्रवेश परीक्षा पोर्टल से लेकर अपने रिकार्ड के लिए रखें।

13. आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने के कारण

- आवेदन पत्र प्रोसेसिंग/प्रवेश परीक्षा शुल्क का भुगतान किए बगैर आवेदन पत्र जमा करना।
- किसी अन्य कमी के पता चलने पर।

टिप्पणी: यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा/मानी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, संवर्ग आदि अभिलेखों की विस्तृत जांच प्रवेश के समय (यदि अभ्यर्थी को इसके लिए बुलाया जाता है) की जायेगी। यदि अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करता/करती है तो भी उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. प्रवेश पत्र

- अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्रवेश परीक्षा की तिथि से लगभग एक सप्ताह पहले आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उन्हें आवंटित की गई यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी के उपयोग द्वारा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) से डाउनलोड कर सकते हैं।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करने सम्बन्धी ई-मेल/एसएमएस अलर्ट अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर किए गए ई-मेल आईडी/मोबाइल नं. पर भी भेजे जायेंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आनलाईन आवेदन पत्र भरते समय पत्राचार हेतु सही ई-मेल/मोबाइल नं. दें।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा तिथि से तीन दिन पहले तक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ हो तो उसे परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से हेल्प डेस्क फोन नं-8574587668 तथा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हेल्प डेस्क ई-मेल आईडी पर सम्पर्क करना चाहिए।
- अभ्यर्थी को प्राप्त प्रवेश पत्र की सभी प्रविष्टियों का सावधानीपूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी को तत्काल परीक्षा नियंता कार्यालय को सूचित करना चाहिए। यदि विसंगति के बारे में समय पर सूचित नहीं किया जाता है तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रिंट आउट लिए गए प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज फोटो (वही फोटोग्राफ की जो आनलाईन भरते समय उपयोग किया गया है) चस्पा करें और इसे स्वयं प्रमाणित करें।

महत्वपूर्ण :

- बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- अभ्यर्थी ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे, इसे अभ्यर्थी के ई-मेल एकाउंट या आनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उन्हें आवंटित की गई यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी के उपयोग द्वारा बीएचयू प्रवेश परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।
- प्रवेश परीक्षाएं 10 अप्रैल से 15 मई, 2016 की अवधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। प्रवेश

	परीक्षा का विवरण सूचना पुस्तिका (खण्ड-21) के अंत में दिया गया है तथा प्रवेश परीक्षा के स्थान का विवरण प्रवेश पत्र पर दिया जाएगा।
iv.	परीक्षार्थियों को चाहिए कि परीक्षा के बाद वे अपना प्रवेश पत्र प्रवेश होने तक सुरक्षित रखें, यदि वे काउंसलिंग के लिए बुलाए जाते हैं तो प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
v.	स्नातक प्रवेश परीक्षा तथा संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

खंड-स

15. प्रवेश परीक्षा की अवधि एवं प्रश्न पत्र की संरचना

महत्वपूर्ण टिप्पणी :

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षा होगी; फिर भी, कुछ पाठ्यक्रमों (जैसा कि नीचे दिया गया है) हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा होगी :

कॉमन प्रवेश परीक्षा	अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रम
I	बी.काम. (आनर्स)/बी.काम. (आनर्स)-वित्तीय बाजार प्रबंधन -मुख्य परिसर/राजीव गांधी दक्षिणी परिसर
II	बी.एससी. (कृषि)/बी.एससी. (कृषि)- राजीव गांधी दक्षिणी परिसर
III	बी.एड./बी.एड.- विशेष शिक्षा
IV	व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन)/व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) (डीडीयू कैशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत)
V	व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (खुदरा प्रबंधन)/व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (लॉजिस्टिक)/व्यवसाय स्नातक पाठ्यक्रम (आतिथ्य एवं पर्यटन) (डीडीयू कैशल केन्द्र, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत)

2. कॉमन प्रवेश परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश अभ्यर्थी की मेरिट (कॉमन प्रवेश परीक्षा में) एवं काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम हेतु दिए गए विकल्प/वरीयता तथा पाठ्यक्रम हेतु उसकी अर्हता के आधार पर किया जाएगा।

3. यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन करता है जिनके लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाएं होनी हैं तो उसे इस तरह के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा, बशर्ते ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए परीक्षाएं अलग-अलग तिथियों पर सम्पन्न होंगी। (प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम देखें)

4. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सम्मिलित/कामन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है उनमें शामिल होने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा, प्रवेश उसे पाठ्यक्रम के अर्हता मानदंडों को पूरा करना होगा।

विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु प्रवेश परीक्षा संरचना नीचे दी गई है:

i. बी.ए. (आनर्स) कला :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, पौधों व पशुओं से सम्बन्धित प्रारम्भिक ज्ञान, पर्यावरण व पर्यावरण प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य, सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट,

खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन, सौर मण्डल, जलवायु एवं ऋतु, प्राकृतिक संसाधन व उद्योग, इतिहास, भारतीय संस्कृति व परंपरा से सम्बन्धित मुख्यतया विचारधारा, साहित्य एवं कला पर आधारित होंगे। प्रश्नपत्र में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा-परिज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दो सेट होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, **दोनों के नहीं।** प्रश्न पत्र का स्तर +2 परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होगा।

ii. बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, पौधों व पशुओं के प्रारंभिक ज्ञान समेत विषय की व्यापक जानकारी, पर्यावरण व पर्यावरण प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य, सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन, सौर मण्डल, जलवायु एवं ऋतु, प्राकृतिक संसाधन व उद्योग, इतिहास, राजनीति विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, मनोविज्ञान एवम् अर्थशास्त्र के प्राथमिक ज्ञान पर आधारित होंगे। प्रश्नपत्र में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा-परिज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दो सेट होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, **दोनों के नहीं।** प्रश्न पत्र का स्तर +2 परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होगा।

iii. बी.काम. (आनर्स)/बी.काम. (आनर्स)- वित्तीय बाजार प्रबंधन हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें (i) लेखाशास्त्र (ii) वित्तीय विवरण विश्लेषण (iii) वित्तीय बाजार प्रबंधन (iv) अर्थशास्त्र (v) मुद्रा और बैंकिंग (vi) प्रारंभिक गणित (vii) कंप्यूटर बेसिक (viii) व्यावसायिक संगठन (ix) व्यावसायिक प्रबंधन तथा (x) समसामयिक आर्थिक मामलों, प्रत्येक से 15 प्रश्न होंगे।

iv. बी.एससी. (आनर्स) (गणित वर्ग) :

+2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर पर आधारित 150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा। इसमें तीन खण्ड होंगे : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित तथा प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे।

v. बी.एससी. (आनर्स) (जीव विज्ञान वर्ग) :

+2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर पर आधारित 150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा। इसमें तीन खण्ड होंगे : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तथा प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे।

vi. शास्त्री (आनर्स):

90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न मध्यम+10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा स्तर के हिन्दी तथा संस्कृत भाषा के ज्ञान पर आधारित होंगे।

vii. बी.एससी. (कृषि)/बी.एससी. (कृषि)- राजीव गांधी दक्षिणी परिसर हेतु कामन प्रवेश परीक्षा :

+2 परीक्षा अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित 120 मिनट (2 घंटा) की अवधि का 300 अंकों का 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नपत्र में निम्नलिखित 5 खण्ड होंगे :

I. मानसिक दक्षता-25 प्रश्न; **II.** रसायन विज्ञान- 25 प्रश्न; **III.** भौतिकी एवं गणित-50 प्रश्न; **IV.** वनस्पति एवं जन्तु विज्ञान-50 प्रश्न; **V.** कृषि विज्ञान-50 प्रश्न।

परीक्षार्थी को कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खण्ड I एवं II सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य हैं जबकि खण्ड III, IV व V में से केवल एक ही खण्ड का उत्तर देना होगा।

viii. बी.एड./बी.एड. - विशेष शिक्षा

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) अवधि का 300 अंकों का एक 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जो निम्नलिखित दो भागों में विभक्त होगा :

(अ) शिक्षण अभिवृत्ति, तार्किक योग्यता, समसामयिकी शैक्षिक परिदृश्य पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न।

(ब) चार विषय समूह यथा-भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी होंगे। अभ्यर्थी को अपनी अर्हता के आधार पर आवेदन पत्र में दिए गए समूह के अनुसार सम्मिलित होना होगा। प्रत्येक समूह में 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्नों का विभाजन विभिन्न समूहों में निम्नानुसार होगा :

भाषा - हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत से समान स्वरूप के प्रश्न; **विज्ञान** - वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गृह विज्ञान से समान स्वरूप के प्रश्न; **गणित** - अधिकांश प्रश्न गणित एवं सांख्यिकी से; **सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी** - इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा गृह विज्ञान से समान स्वरूप के प्रश्न।

टिप्पणी

अपनी अर्हतानुसार विषय समूह के चयन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही समूह का चयन करना होगा और एक बार आबंटित हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जाएगा। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में एक बार चयन किया गया विकल्प ही अंतिम होगा।

ix. एल.एल.बी. (आनर्स) (06 सेमेस्टर-त्रिवर्षीय) :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य जानकारी तथा समसामयिक घटनाक्रम, सामान्य कानूनी ज्ञान, अभिरुचि एवं मानसिक योग्यता पर आधारित होंगे। साथ ही, प्रश्न पत्र में भाषा परिज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दो सेट-हिन्दी एवं अंग्रेजी के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा सेट अथवा अंग्रेजी भाषा सेट में से किसी एक सेट के प्रश्नों का उत्तर देना होगा, दोनों का नहीं।

x. बी.ए.एल.एल.बी. (आनर्स) (10 सेमेस्टर-पंचवर्षीय) :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य जानकारी तथा समसामयिक घटनाक्रम, विधिक अभिरुचि एवं मानसिक योग्यता पर आधारित होंगे। साथ ही, प्रश्न पत्र में अंग्रेजी परिज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे।

xi. बी.पी.एड. (बैचलर आफ फिजिकल एजुकेशन) (04 सेमेस्टर-द्विवर्षीय) :

90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 300 अंकों का 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला एक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य अध्ययन, दक्षता परीक्षण और खेलकूद के बारे में समसामयिक घटनाक्रम एवं सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। चयनित अभ्यर्थियों हेतु 300 अंकों का शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण (संशोधित एएचपीईआर उपयुक्तता परीक्षण) परीक्षा नियंता द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों द्वारा परीक्षा नियंता या उनके प्रतिनिधि(यों) की देखरेख में केवल शारीरिक शिक्षा विभाग, बीएचयू, वाराणसी में होगा।

नोट :

1. प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण दोनों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
2. चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रैक्टिकल परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।
3. शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण का कन्वर्जन फारमूला परीक्षण के समय उपलब्ध होगा।
4. प्रवेश के लिए शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रवेश हेतु अंतिम मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा के घटक सैद्धांतिक (लिखित) एवं शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण में प्राप्त अंकों तथा बोनस अंक (यदि कोई हो) के समेकन के बाद ही घोषित की जाएगी।
5. किसी भी श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं है क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को खेलकूद का प्रदर्शन करना होता है।
6. चिकित्सा परीक्षा : अर्ह अभ्यर्थियों को छात्र स्वास्थ्य सेवा संकुल में चिकित्सा परीक्षा करवानी होगी। मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त घोषित अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

xii. बी.पी.ए. [कंठ/(वाद्य संगीत (उत्तर भारतीय शास्त्रीय)] - सितार, बाँसुरी, वायलिन, तबला)/(भारतीय शास्त्रीय नृत्य- कथक/भरतनाट्यम)]

कंठ, वाद्य-(सितार, बाँसुरी और वायलिन), वाद्य-(तबला), नृत्य-कथक और नृत्य-भरतनाट्यम प्रत्येक से 120 मिनट की अवधि का 100 बहु विकल्पीय प्रश्नों का 300 अंकों का एक लिखित प्रश्नपत्र होगा तथा 45 मिनट अवधि का 600 अंकों की एक प्रयोगात्मक परीक्षा (मंचन एवं मौखिक) होगी।

टिप्पणी :

1. चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रैक्टिकल परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।
2. प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।
3. प्रश्नपत्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कंठ, वाद्य और नृत्य के त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा इसके समकक्ष परीक्षा पर आधारित होंगे।

xiii. बी.एफ.ए.

इस परीक्षा में एक लिखित प्रश्नपत्र तथा दो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। लिखित परीक्षा में 60 मिनट की अवधि का 150 अंकों के 50 बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न दृश्यकला सम्बन्धी सामान्य जानकारी (चित्रकला, मूर्ति कला, वाणिज्य कला/प्रयुक्त कला, मृदभाण्ड, मृत्तिका शिल्प एवं वस्त्रांकन) के होंगे। अधोलिखित दो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होंगी -

- i. 90 मिनट अवधि की 150 अंकों की किसी विषय वस्तु की पेंसिल से लाइट एवं शेड युक्त ड्राइंग।
- ii. 90 मिनट अवधि की 150 अंकों की कल्पना पर आधारित स्मृति ड्राइंग (किसी भी माध्यम यथा पेंसिल, रंगीन पेंसिल, पेस्टल, क्रेयान, वाटर कलर, पोस्टर कलर आदि)

टिप्पणी :

1. चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रैक्टिकल परीक्षा केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में ही होगी।
2. प्रवेश हेतु अर्ह होने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक (लिखित) एवं प्रैक्टिकल परीक्षा दोनों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

xiv. **खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन में व्यवसाय स्नातक/चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में व्यवसाय स्नातक**
:

120 मिनट (2 घंटा) की अवधि का 450 अंकों का 150 बहु विकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा। ये प्रश्न सामान्य जानकारी, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, मानव शरीर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता : कोशिका और ऊतक, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, स्वच्छता व साफ सफाई, भोजन एवं स्वास्थ्य में इसकी भूमिका, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, बीमारियों के बारे में सामान्य जानकारी एवं इनके फैलने के कारण, बचाव एवं सुरक्षा : रोजमर्रा की आपात स्थिति, सामान्य बीमारियां, खाद्य एवं कचरे सामानों के उत्पादन से संबंधित होंगे। साथ ही, प्रश्न पत्र में भाषा परिज्ञान के बहु विकल्पीय प्रश्नों के दो सेट-हिन्दी एवं अंग्रेजी के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा सेट अथवा अंग्रेजी भाषा सेट में से किसी एक सेट के प्रश्नों का उत्तर देना होगा, दोनों का नहीं।

xv. **व्यवसाय स्नातक (खुदरा प्रबंधन)/व्यवसाय स्नातक (लॉजिस्टिक प्रबंधन)/व्यवसाय स्नातक (आतिथ्य एवं पर्यटन) (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत):**

120 मिनट (2 घंटा) की अवधि का 450 अंकों का 150 बहु विकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगा। ये प्रश्न i) मानसिक योग्यता, ii) संख्यात्मक अभिरुचि, iii) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम तथा iv) भाषा-अंग्रेजी अथवा हिन्दी के होंगे। 'भाषा' वाले हिस्से में भाषा परिज्ञान के बहु विकल्पीय प्रश्नों के दो सेट-हिन्दी एवं अंग्रेजी के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा सेट अथवा अंग्रेजी भाषा सेट में से किसी एक सेट के प्रश्नों का उत्तर देना होगा, दोनों का नहीं। प्रश्नपत्र +2 अथवा इसके समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा।

16. प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

- परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न-पुस्तिका तथा अलग से उत्तर पत्रक दिए जाएंगे।
- प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ सही क्रम में हैं और कोई भी पृष्ठ/प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।**
- परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्नपत्र एवं उत्तर पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर केवल **स्याही/बाल प्वाइंट पेन** से लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपना **अनुक्रमांक उत्तर पत्रक के अधोभाग में उपयुक्त अण्डाकृति में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से अंकित करना चाहिये** तथा उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर **स्याही/बाल पेन** से प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या तथा सेट संख्या (यदि हो) अंकित करना चाहिए। (नोट : कृपया ध्यान दें कि अनुक्रमांक अंकित करने अथवा सेट नंबर लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी यह भी ध्यान रखें कि सेट नंबर, यदि कोई हो, अनुक्रमांक तथा अन्य आवश्यक विवरण न भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा परीक्षार्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।)
- परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अपना अनुक्रमांक एवं उत्तरपत्रक की क्रम संख्या केवल **स्याही/ बाल प्वाइंट पेन** से अंकित करना है।
- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे। परीक्षार्थी जिस विकल्प को सही समझता है, उसे उपयुक्त अण्डाकृति में केवल **नीले/काले बाल प्वाइंट पेन** से रंग कर अपना उत्तर दर्ज करना होगा जैसा कि उत्तर पत्रक के पहले पेज पर दिए गए दिशानिर्देशों में उल्लिखित होगा। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (2) का चयन करता है तो उसे उपयुक्त अण्डाकृति में निम्न प्रकार से दर्शाना चाहिए-

प्रश्न संख्या 15



उत्तर देने की गलत विधि*

प्रश्न संख्या 15



प्रश्न संख्या 15



प्रश्न संख्या 15



***गलत विधि से दिए गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा**

- vi. यदि परीक्षार्थी एक से अधिक अण्डाकृति रंगता है या अण्डाकृति को ठीक तरीके से नहीं रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा। मार्किंग के लिए अपनायी गयी अन्य विधियां, यथा टिक मार्क, क्रॉस मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये अण्डाकृति व अण्डाकृति के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- vii. परीक्षार्थी द्वारा यदि कोई प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न से सम्बद्ध सभी अण्डाकृतियों को खाली छोड़ देना चाहिए। ऐसे प्रश्नों के लिए शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे।
- viii. परीक्षा पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।
- ix. परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ को फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के प्रयोग करने की सजा का भागी होगा तथा उसे प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी :

अ. यदि परीक्षार्थी उत्तर पत्रक पर अनुक्रमांक, सेट संख्या इत्यादि लिखने/भरने में कोई त्रुटि करता है तो इसे सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होगी तथा उत्तर पत्रक तदनुसार मूल्यांकित होगी। परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्याही से दर्शाये जा रहे हैं अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। (उत्तर में परिवर्तन के लिए हवाईटनर का प्रयोग वर्जित है।)

ब. (i) विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थी को प्रश्न पुस्तिका दे दी जाएगी।

(ii) प्रवेश परीक्षाएं सम्पन्न होने के बाद साधारणतः 4-5 दिन के अंदर औपबन्धिक उत्तर (कुंजी) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in पर प्रदर्शित कर दी जाएगी।

(iii) यदि प्रश्न/उत्तर के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in पर औपबन्धिक उत्तर कुंजी प्रदर्शित किए जाने के उपरान्त 5 दिन का समय दिया जायेगा ताकि वे अपना/अपनी शिकायत परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में दर्ज करा सकें। इस प्रकार निर्धारित उत्तर कुंजी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा तथा इसके बाद पुनर्वलोकन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) शिकायत दर्ज कराते समय अभ्यर्थी को अपना नाम, अनुक्रमांक, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम कूट संख्या, प्रश्न पत्र पुस्तिका की सेट संख्या (यदि कोई हो) तथा प्रश्न का क्रमांक एवं इसके कुंजी का अवश्य उल्लेख करना होगा।

(v) प्रश्नों/कुंजी के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

17. प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

- i. परीक्षार्थी को अपनी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैध प्रवेश-पत्र अवश्य लाना चाहिए। उसे उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अपने अनुक्रमांक की सीट पर ही स्थान ग्रहण करना चाहिये।
- ii. प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- iii. परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने के पूर्व परीक्षा-कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- iv. प्रवेश परीक्षाओं में दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के अलावा दूसरे परीक्षार्थियों के लिए 'लेखक' उपलब्ध कराने अथवा 'लेखक' लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दृष्टिहीन परीक्षार्थी द्वारा निवेदन करने पर ही उसे 'लेखक' उपलब्ध कराया जायेगा [अधिक जानकारी के लिए इस सूचना पुस्तिका का खण्ड 6 (iii) देखें]।
- v. किसी स्रोत-सामग्री की तनिक भी शंका होने पर परीक्षार्थी की जाँच कक्ष निरीक्षक द्वारा अचानक या परीक्षा संचालित कर रहे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा सहसा और बार-बार की जा सकेगी।
- vi. परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर/वाँच कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन, ईयर फोन, अलार्म घड़ी, मेमोरी वाली डिजिटल घड़ी, स्लाइड रूल, इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। अनुज्ञापित हथियार आग्नेय अस्त्र, प्राणघातक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने वाले औजार भी परीक्षा कक्ष में लाने की अनुमति नहीं है।
- vii. परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर परीक्षार्थी की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी :

परीक्षार्थी के पास प्रासंगिक/ अप्रासंगिक साधन-सामग्री का पाया जाना या उसके परीक्षा स्थान के आस-पास जमीन पर अथवा सीट के आस-पास अनुचित सामग्री का पाया जाना या अनाधिकृत सामग्री जैसा (vi) पर दर्शाया गया है/कागज/सूचना सामग्री या किसी भी प्रकार की परीक्षा से सम्बन्धित स्रोत सामग्री रखना, किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक रूप से सूचना का आदान-प्रदान करना अथवा प्रश्न-पुस्तिका/उत्तर पत्रक की एक दूसरे के बीच अदला बदली अथवा अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी गलत साधनों का प्रवेश परीक्षा के दौरान इस्तेमाल करना, प्रवेश पत्र पर कुछ लिखना, प्रवेश पत्र का लिफाफा संबन्धित कागज परीक्षा-हॉल में ले जाना, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नपुस्तिका एवं ओएमआर प्रपत्र की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आदि या प्रश्नपुस्तिका तथा ओएमआर पत्रक संख्या में [अनुक्रमांक अंकों एवं शब्दों में तथा ओ. एम. आर. पत्रक में अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या एवं सेट संख्या (यदि कोई हो) जो सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित न हो, आवेदन पत्र भरते समय किए गए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं प्रवेश परीक्षा के समय किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षरों का मिलान न होने पर।

- viii. परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य करार कर दिया जायेगा :

प्रवेश पत्र अथवा छायाचित्र में हेर-फेर, चेहरे का प्रवेश पत्र पर दिये गये फोटोग्राफ से पूर्णतया मेल न खाना, निर्धारित स्थान पर न बैठना, बैठने की व्यवस्था में बदलाव करना, प्रश्न-पुस्तिका का कोई भाग अथवा पूरी प्रश्न-पुस्तिका अथवा प्रवेश परीक्षा की सामग्री या उससे सम्बन्धित किसी अन्य सामग्री को परीक्षा-कक्ष से बाहर या अन्दर ले जाना, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना या व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करना, प्रश्नों या उनके उत्तरों को नोट करना, परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र/विश्वविद्यालय परिसर में नारा लगाना या अव्यवस्था उत्पन्न करना।

ix. छद्म रूप से किसी व्यक्ति का किसी परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देना कानूनन दण्डनीय अपराध है। किसी भी परीक्षार्थी को बिना वैध प्रवेशपत्र के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन हेतु माँगे जाने पर परीक्षार्थी को प्रवेशपत्र प्रस्तुत करना होगा। परीक्षार्थी की पहचान प्रवेश पत्र में दिए गए उसके विवरण के सत्यापन द्वारा की जाएगी। पहचान संदिग्ध होने पर उसे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी तौर पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अगूँठा निशानी/एकाधिक हस्ताक्षर नमूना लेने और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकारी के विवेकानुसार दी जा सकती है। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई समय नहीं दिया जायेगा।

ठीक उसी प्रकार काउन्सिलिंग के समय भी उपलब्ध कागजातों से अभ्यर्थी की पहचान का मिलान विश्वविद्यालय में किया जायेगा और किसी भी प्रकार का सन्देह होने पर उसका/उसकी प्रवेश अंतिम रूप से सत्यापन होने तक स्थगित रहेगा।

यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देता पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के तहत उसे पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली समस्त प्रवेश परीक्षाओं से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय का कोई छात्र या कर्मचारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे क्रमशः निष्कासित और सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।

x. **सूचना को छिपाना या गुप्त रखना :** अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम योग्यताएँ पूरी करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करता है अथवा उसके विरुद्ध ऐसा कुछ है जो कि उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करता है अथवा अभ्यर्थी ने कोई गलत सूचना दी है अथवा पूर्व में किसी कदाचार व अनुशासनहीनता या ऐसे किसी कृत्य में संलिप्तता रही हो जो कि कानूनन दण्डनीय है, की जानकारी नहीं दी है तो उसका अभ्यर्थन विचारणीय नहीं होगा तथा प्रवेश यदि किसी भी स्तर पर हो चुका है तो भी निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

xi. प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी परीक्षा केन्द्र के आस-पास घूमने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास घूमता हुआ पाया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा एफआईआर दर्ज करवाकर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया जायेगा।

xii. **किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर यूईटी उत्तर पत्रक के पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।**

xiii. समय-समय पर प्रवर्तित होने वाले बीएचयू के संविधि/अध्यादेश/नियम तथा विनियम अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होंगे।

xiv. यूईटी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित कोई भी अभियोग वाराणसी के स्थानीय न्यायालय तथा/अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

xv. **व्याख्या सम्बन्धी किसी भी दुरुहता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही मान्य होगा।**

18. मूल्यांकन एवं परीक्षाफल

यूईटी के सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में ऋणात्मक अंकन होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किए जाएंगे जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काट लिए जाएंगे। उत्तर नहीं दिए गए प्रश्नों के लिए शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे।

अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त उसके कुल अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा बशर्ते वह न्यूनतम अर्हता पूरी करता हो तथा प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करता हो। विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा/अथवा विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। तथापि, बी.पी.ए. और बी.एफ.ए. के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक 35 प्रतिशत और प्रायोगिक परीक्षा में 45 प्रतिशत होगा। योग्यता क्रम का निर्धारण, दो भागों यथा-लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक के योग पर आधारित होगा।

बी.पी.एड. हेतु लिखित परीक्षा का न्यूनतम अर्हता अंक 35 प्रतिशत होगा जबकि शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण हेतु यह 45 प्रतिशत होगा। बी.पी.एड. में योग्यता क्रम का निर्धारण तीन भागों यथा-लिखित परीक्षा के अंक, शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण के अंक तथा खेलकूद उपलब्धियों (यदि कोई हो) हेतु बोनस अंक के योग के आधार पर होगा। उपरोक्त न्यूनतम अर्हता अंकों में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

यदि बीएफए और बीपीए के लिए न्यूनतम अर्हता अंक कमतर किए जाते हैं तो मेरिट निम्नानुसार तैयार की जाएगी :

(i) प्रथमतः सम्मिलित अंकों के आधार पर वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जो लिखित तथा प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हों। (ii) उसके पश्चात् सम्मिलित अंकों के आधार पर वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में सम्मिलित होंगे जो प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किये हों, परन्तु लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक न प्राप्त कर पाए हों।

टिप्पणी : उपरोक्त प्रक्रिया सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी अभ्यर्थी स्नातक प्रवेश परीक्षा में तभी सम्मिलित माना जायेगा जब वह लिखित और प्रायोगिक दोनों ही परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ होगा।

बी.पी.एड. हेतु बोनस अंक

बी.पी.एड. हेतु बोनस अंकों का वितरण		
1. आईओए के साथ संबद्ध/संबंधित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ अंतर्राज्यीय/राष्ट्रीय खेलों तथा एआईयू की अनुमोदित सूची के अनुसार आयोजित विश्व /सैफ /राष्ट्रमंडल खेलों में स्थान		
व्यक्तिगत	टीम	अंक
पहला स्थान	पहला स्थान	50
दूसरा स्थान	दूसरा स्थान	45
तीसरा स्थान	तीसरा स्थान	40
चौथा स्थान	चौथा स्थान	35

2. अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा		
व्यक्तिगत	टीम	अंक
---	सदस्य भारतीय विश्वविद्यालय टीम	45
पहला स्थान	सदस्य विजेता टीम	40
दूसरा स्थान	सदस्य उप-विजेता टीम	35
तीसरा स्थान	तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली सदस्य टीम	30

3. आंचलिक अंतर विश्वविद्यालयी प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्तकर्ता		
व्यक्तिगत	टीम	अंक
---	सदस्य विज्जी ट्राफी टीम	20
पहला स्थान	सदस्य विजेता टीम	15
दूसरा स्थान	सदस्य उप-विजेता टीम	10

नोट : जिन अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त आईओए/फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेल/खेलकूद में तथा एआईयू की अनुमोदित सूची के अनुसार आयोजित ओलंपिक/विश्व/एशियन/राष्ट्रमंडल खेलों/सैफ तथा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें सीधे प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते अभ्यर्थी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले संबंधित पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया हो तथा न्यूनतम अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

पारस्परिक वरीयता क्रम : यूईटी (सभी पाठ्यक्रमों हेतु) में समान इंडेक्स होने की स्थिति में पारस्परिक वरीयता क्रम हेतु निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे :

- अ) उन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनका अर्हता परीक्षा में संपूर्ण प्रतिशत अंक उच्चतर होगा। फिर भी, बी.एससी. में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान विषय के कुल अंको पर विचार किया जाएगा।
- आ) यदि उल्लिखित उपरोक्त परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

परीक्षा परिणाम :

विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा कि अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा का परिणाम जून, 2016 पहले-दूसरे सप्ताह में घोषित कर दिया जाए और यह बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल (www.bhuonline.in) पर उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, प्रवेश परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक, उसकी समग्र मेरिट तथा जिस श्रेणी से वह संबंधित है उसके अंतर्गत उसकी मेरिट संबंधी जानकारी आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी द्वारा रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पते पर एसएमएस व ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पत्राचार हेतु वे सही ई-मेल पता व मोबाइल नंबर दर्ज करें।

महत्वपूर्ण :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दिए गए किसी भी तथ्य के प्रतिकूल होते हुए भी किसी भी आधार पर प्रवेश परीक्षा के उत्तर पत्रक/पुस्तिका की संविक्षा/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, आयोजित प्रवेश परीक्षा/मूल्यांकित पत्रक के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन अथवा किसी भी तरह की पूछताछ की अनुमति नहीं होगी।

19. प्रवेश के समय अपेक्षित मूल दस्तावेज :

केवल चयनित/प्रतीक्षा सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को ही सम्बन्धित संकायों के संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष द्वारा उनके प्रवेश के बारे में 'बुलावा पत्र' (प्रवेश परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड किया गया) द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशेष तिथि/तिथियों पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुलाया जाता है, तो उसे नीचे दिए गए समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां अपने साथ लाना होगा, जिसे न लाने पर उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा (बुलावा पत्र में विस्तृत जानकारी दी जायेगी)।

- i. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- ii. प्रवजन प्रमाण पत्र, यदि का.हि.वि.वि. के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हों (प्रवेश लेने के 90 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)।
- iii. हाईस्कूल प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
- iv. इण्टरमीडिएट (+2) प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
- v. हाईस्कूल/समकक्ष और इण्टरमीडिएट (+2)/समकक्ष के अंक पत्र।
- vi. अर्हता परीक्षा का अंक पत्र।
- vii. परीक्षा नियंता कार्यालय, का.हि.वि.वि. द्वारा जारी यूईटी प्रवेश पत्र।
- viii. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जा. का प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आरक्षण का दावा किया गया है।
- ix. खेल सीटों के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों)।
- x. का.हि.वि.वि. के स्थायी सेवा के कर्मचारी/अवकाश प्राप्त/पुनर्नियुक्त/दिवंगत कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र।

अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अपने पास सभी मूल दस्तावेज जैसे हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र, इण्टरमीडिएट या समकक्ष अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र (यदि जारी किए गए हों), आरक्षण प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, प्रवजन प्रमाण-पत्र (यदि बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो) तथा सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र रखना होगा जिनके न होने पर उनके प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। **यद्यपि, सम्बन्धित परीक्षा प्राधिकरण के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अंकपत्र (प्रवेश समिति के सत्यापन के अधीन), गोपनीय अंक पत्र अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/परीक्षा नियंता या सम्बन्धित बोर्ड के सचिव (सीनियर सेक्रेटरी स्तर की अर्हता परीक्षा के मामले में) द्वारा जारी किया गया हो, को भी प्रवेश के समय स्वीकार किया जाएगा।**

20. प्रवेश प्रक्रिया

किसी पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश केवल तभी हो सकता है जब वह समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूरी करता/करती हो, यूईटी में सम्मिलित हुआ/हुई हो व उत्तीर्ण हुआ/हुई हो तथा प्रवेश हेतु समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करता/करती हो। प्रवेश निश्चित रूप से पूर्णतया स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट योग्यता अंको, पाठ्यक्रम में सीटों की उपलब्धता, सूचना पुस्तिका में दिये गये नियमों तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर ही होगा।

प्रवेश परीक्षा (यूई.टी.) का परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद प्रवेश-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। प्रवेश सम्बन्धित विभागों की प्रवेश समितियों द्वारा किए जाएंगे। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/समन्वयक अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुलावा पत्र जारी करेंगे। जैसे ही, बुलावा पत्र जारी कर दिए जाते हैं, चयनित अभ्यर्थी बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए प्रवेश परीक्षा पोर्टल [www.bhuonline.in] के 'कैंडिडेट सेगमेंट' पर लॉग-इन करें। बुलावा पत्र जारी करने की सूचना अभ्यर्थी को उसके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी/मोबाइल पर भेजी जाएगी। अतएव, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे पत्राचार के लिए सही ई-मेल/मोबाइल नं. दें। अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों से 2-4 गुना

अधिक अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजे जाएंगे। प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट इंडेक्स पर आधारित है।

नोट : कभी-कभी तकनीकी कारणों से अभ्यर्थियों को ई-मेल/एसएमएस नहीं भी प्राप्त हो सकते हैं। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग कार्यक्रम, बुलावा पत्र डाउनलोड करने, प्रवेश शुल्क के भुगतान इत्यादि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिए जाने के पश्चात् प्रत्येक दिन बीएचयू का प्रवेश परीक्षा पोर्टल [www.bhuonline.in] देखें।

काउंसलिंग प्रक्रिया

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कंप्यूटरीकृत काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में निम्न चरण होंगे :

चरण-1: ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि (बुलावा पत्र जारी होने पर अथवा उसके पश्चात् तथा काउंसलिंग की तिथि से पहले)

किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुलाए गए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नानुसार ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि फार्म भरना होगा। पासवर्ड मिलने के बाद ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि करने के लिए प्रविष्टि फार्म प्रवेश परीक्षा पोर्टल [www.bhuonline.in] के 'कैंडिडेट सेगमेंट' पर उपलब्ध व सक्रिय होगा। वरीयता प्रविष्टि फार्म में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से अपनी वरीयता देनी होगी :

- आनर्स विषय (विषय समूह)-[बी.एससी. (आनर्स) हेतु]
- आनर्स विषय - बी.ए. (आनर्स) हेतु
- **पाठ्यक्रम का चयन** : यह वरीयता विकल्प तभी उपलब्ध होगा जब प्रवेश कॉमन प्रवेश परीक्षा [कुछ स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु] में प्राप्त मेरिट इंडेक्स/रैंक के आधार पर प्रवेश हुआ है।
- **स्थान की वरीयता (मुख्य परिसर के संकाय/विभाग या आरजीएससी या संबंधित महाविद्यालय)** : यह वरीयता विकल्प तभी उपलब्ध होगा जब पाठ्यक्रम एक से अधिक स्थानों पर संचालित किया जाता हो।
- **सीट का प्रकार** : क्या अभ्यर्थी केवल नियमित शुल्क वाली सीटों पर प्रवेश चाहता है या यदि नियमित शुल्क वाली सीटें भर गई हों तो पेड सीट के अंतर्गत प्रवेश लेने का इच्छुक है।

नोट :

अभ्यर्थी अपना वरीयता क्रम सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन वरीयता फार्म में कोई भी स्थान खाली न छोड़ें। यदि कोई स्थान खाली छोड़ा जाता है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी उस विकल्प हेतु इच्छुक नहीं है। ऑनलाइन वरीयता प्रविष्टि फार्म में बदलाव करने का एक दूसरा मौका अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दिन (दस्तावेजों के सत्यापन से पहले) दिया जाएगा। नियमित शुल्क की सीटें भर जाने के बाद ही पेड सीट के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के समय वरीयता प्रविष्टि फार्म भरते समय पेड सीट का विकल्प चुना है उन्हें मेरिट के क्रम, पाठ्यक्रम हेतु उनकी वरीयता (जैसा कि वरीयता प्रविष्टि फार्म में दिया गया है) तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी जिसे प्रारंभ में अपनी निचली वरीयता की नियमित शुल्क वाली सीट पर अस्थायी प्रवेश मिला है और पेड सीट के अंतर्गत उसे उच्चतर वरीयता के पाठ्यक्रम/आनर्स/आनर्स (समूह)/स्थान में प्रवेश पाने का अवसर मिलता है तो उसे उसकी निचली वरीयता से उच्चतर वरीयता में प्रतिस्थापित होने पर पाठ्यक्रम हेतु पेड सीट पर विचार किया जाएगा।

चरण-2 : काउंसलिंग के दिन का क्रिया-कलाप

- बुलावा पत्र में दी गई तिथि व समय पर काउंसलिंग स्थान पर पहुंचें। काउंसलिंग केन्द्रस्थान के प्रभारी से संपर्क करें और काउंसलिंग केन्द्र के प्रभारी के पास उपलब्ध उपस्थिति पत्रक पर अपने हस्ताक्षर करें।

- काउंसलिंग केन्द्र/स्थान पर मौजूद अध्यापक से उपलब्ध आनर्स/पाठ्यक्रम संयोजन (विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान संकाय इत्यादि), स्नातक पाठ्यक्रमों के विकल्प (यदि एक से अधिक पाठ्यक्रमों हेतु कॉमन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है), स्थान, शुल्क संरचना, छात्रावासों की उपलब्धता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि आप अपने वरीयता (पहले ऑनलाइन भरे गए) में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस चरण में कर सकते हैं। परिवर्तन हेतु काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी से अनुरोध करें। वरीयता प्रविष्टि फार्म पूर्ण हो जाने के बाद इसका प्रिंट निकालें, इस पर हस्ताक्षर करें और जरूरी कागजातों के साथ सत्यापन डेस्क पर जमा करें। **काउंसलिंग तिथि को एक बार अभ्यर्थी द्वारा वरीयता प्रविष्टि फार्म पर हस्ताक्षर करने व इसकी पुष्टि कर दिए जाने पर इसे अंतिम माना जाएगा और बाद में इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।** प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट क्रम तथा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए वरीयता क्रम व सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का आवंटन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा।

नोट : यदि आरक्षित संवर्ग के मेधावी अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ बुलाया जाता है तो उसकी अपनी श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों पर उसका दावा बरकरार रहेगा।

- यदि आपको अस्थायी रूप से प्रवेश दिया गया है तो काउंसलिंग के अगले दिन पूर्वाह्न 10.00 बजे काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी से अस्थायी प्रवेश पत्र प्राप्त करें। काउंसलिंग की तिथि को जिस पाठ्यक्रम में आपको अस्थायी प्रवेश दिया गया है, प्रवेश पत्र में वह पाठ्यक्रम, भुगतान की जाने वाली प्रवेश शुल्क (नियमित शुल्क), शुल्क जमा करनेकी अंतिम तिथि (सामान्यतः काउंसलिंग तिथि के अगले दिन अपराह्न 4.00 बजे तक) वह दर्शाया गया होगा। यदि आपको विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम या पेड सीट में अस्थायी प्रवेश दिया गया है तो आपको उस पाठ्यक्रम की नियमित शुल्क के अलावा विशेष पाठ्यक्रम/पेड सीट शुल्क का भी भुगतान करना होगा। कृपया काउंसलिंग केन्द्र प्रभारी से धनराशि, भुगतान की विधि तथा विशेषपाठ्यक्रम/पेड सीट शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी कर लें।
- प्रवेश शुल्क (विश्वविद्यालय की नियमित शुल्क) के भुगतान की विधि :** काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी से अस्थायी प्रवेश पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे :
 - प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान
 - शुल्क काउंटरों (काउंसलिंग केन्द्र/स्थान के नजदीकी काउंटर का पता कर लें) पर शुल्क का नकद भुगतान

चरण-3 : काउंसलिंग तिथि के अगले के दिन की गतिविधि

काउंसलिंग के अगले दिन (शुल्क भुगतान हेतु अंतिम समय सीमा) अपराह्न 4.00 बजे तक अभ्यर्थी को काउंसलिंग केन्द्र/स्थान प्रभारी के पास शुल्क भुगतान कर देने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड से ऑनलाइन किया गया है तो शुल्क भुगतान कर देने का साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी यदि अंतिम समय सीमा तक शुल्क भुगतान कर देने का साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि वह प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और उसका अस्थायी प्रवेश पत्र निरस्त माना जाएगा / वापस ले लिया जाएगा।

नोट

- (i) (i) काउंसलिंग के प्रत्येक दिन तथा (ii) शुल्क भुगतान हेतु अंतिम समय सीमा के बाद सीटों का कंप्यूटरीकृत आवंटन/पुनर्बंधन मेरिट के क्रम में तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी को उसके द्वारा भरे गए वरीयता क्रम में उच्चतर स्थान प्राप्त हो सकता है यदि काउंसलिंग के दिन/काउंसलिंग के बाद यदि किसी अभ्यर्थी जो कि काउंसलिंग में सम्मिलित हुआ हो की उच्चतर वरीयता वाली सीट खाली रह जाती है। यह कंप्यूटर द्वारा स्वतः हो जाएगा। काउंसलिंग की अंतिम तिथि को शुल्क भुगतान की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद ही कंप्यूटर द्वारा अंतिम आवंटन किया जाएगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के आधार पर पाठ्यक्रम विकल्प, स्थान और सीट के प्रकार (नियमित से पेड सीट तथा विलोमतः) में परिवर्तन हो सकेगा। इस तरह से किया गया अंतिम आवंटन अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा।
- (ii) ऊपर उल्लिखित समस्त मूल दस्तावेज अभ्यर्थी के पास होने चाहिए। तथापि, सम्बन्धित परीक्षा प्राधिकरण के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया अंकपत्र (प्रवेश समिति के सत्यापन के अधीन), गोपनीय अंक पत्र अथवा संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/परीक्षा नियंता या सम्बन्धित बोर्ड के सचिव (सीनियर सेकेंडरी स्तर की अर्हता परीक्षा के मामले में) द्वारा जारी किया गया हो, को भी प्रवेश के समय स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश पत्र में दी गई निर्धारित अवधि के भीतर शुल्क जमा न होने पर आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।

21. स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) 2016 का कार्यक्रम (प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे)

प्रथम पाली का समय : पूर्वाह्न 8.00 बजे से

द्वितीय पाली का समय : अपराह्न 3.00 बजे से

दिन	तिथि	पाली	पाठ्यक्रम/विषय
रविवार	10/04/2016	प्रथम	बीएफए* (सैद्धांतिक) बी.पी.एड.* (सैद्धांतिक) बीपीए* (उत्तर भारतीय शास्त्रीय गायन/वादन)/बीपीए* (भारतीय शास्त्रीय-नृत्य) (सैद्धांतिक)
		द्वितीय	बी.एससी. (कृषि) शास्त्री
रविवार	17/04/2016	प्रथम	बी.एससी. (आनर्स)-गणित
		द्वितीय	बी.ए. एलएल.बी. (पंचवर्षीय)
रविवार	24/04/2016	प्रथम	बी.ए. (आनर्स)-कला
		द्वितीय	बी.एससी. (आनर्स)-जीव विज्ञान
रविवार	08/05/2016	प्रथम	बी.एड./बी.एड.-विशेष शिक्षा गणित (कूट संख्या-567) बी.एड. - विशेष शिक्षा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान (कूट संख्या-568) कॉमन परीक्षा 1. व्यवसाय स्नातक (खुदरा प्रबंधन) 2. व्यवसाय स्नातक (लॉजिस्टिक प्रबंधन) 3. व्यवसाय स्नातक (आतिथ्य एवं पर्यटन)
		द्वितीय	बी.एड./बी.एड.-विशेष शिक्षा भाषा (कूट संख्या-564) बी.एड. - विशेष शिक्षा विज्ञान (कूट संख्या-565) कॉमन परीक्षा 1. व्यवसाय स्नातक (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन) 2. व्यवसाय स्नातक (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)
रविवार	15/05/2016	प्रथम	बी.ए. (आनर्स)- सामाजिक विज्ञान
		द्वितीय	बी.कॉम.(आनर्स)/बी.कॉम.(आनर्स)-वित्तीय बाजार प्रबंधन एलएल.बी. (आनर्स) (त्रिवर्षीय)

बीपीए, बीएफए हेतु प्रायोगिक परीक्षा तथा बी.पी.एड. हेतु शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण कार्यक्रम*
(केवल बीएचयू परिसर, वाराणसी में आयोजित की जाएगी)

सोमवार से बुधवार	23.05.2016 से 25.05.2016	बी.पी.एड. हेतु शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण
नोट : प्रायोगिक परीक्षाओं में शामिल होने वाला चयनित अभ्यर्थी शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण - बी.पी.एड. हेतु खेलकूद के पहनावे/ किट में उल्लिखित तिथि को प्रातः 6.00 बजे बीएचयू परिसर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एम्फिथिएटर मैदान में रिपोर्ट करेगा।		
सोमवार से मंगलवार	04.07.2016 से 05.07.2016	बीपीए हेतु प्रायोगिक परीक्षा
सोमवार से मंगलवार	04.07.2016 से 05.07.2016	बीएफए हेतु प्रायोगिक परीक्षा

नोट :

***बी.म्यूज/बी.पी.ए., बी.एफ.ए. और बी.पी.एड. के अभ्यर्थियों के ध्यानार्थ**

(i) बी.म्यूज/बी.पी.ए., बी.एफ.ए. और बी.पी.एड. के लिए परीक्षा का लिखित भाग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी केन्द्रों पर आयोजित किया जाएगा। तथापि, **चयनित अभ्यर्थियों (लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर लिए गए)** हेतु बी.पी.एड के लिए शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण [खण्ड 15 (iii) देखें], बी. म्यूज/बीपीए के लिए एक व्यावहारिक परीक्षा [खण्ड 15 (ii) देखें], तथा बी.एफ.ए. के लिए [खण्ड 15 (iii) देखें] **केवल वाराणसी परीक्षा केन्द्र पर उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी।** चयनित अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल पते/मोबाइल नंबर पर ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(ii) शारीरिक उपयुक्तता परीक्षण/व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कम से कम 2-3 दिनों के लिए रुकने की व्यवस्था करके आना होगा।

लिखित परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी बी.पी.एड. अभ्यर्थियों को खेलकूद के पहनावे/किट में अपनेप्रवेश पत्र तथा मूल प्रमाण पत्रों एवं उच्चतम खेलकूद सहभागिता प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति के साथ उल्लिखित तिथि को प्रातः 6.00 बजे बीएचयू परिसर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एम्फिथिएटर मैदान में रिपोर्ट करना होगा।

विभिन्न संकायों/महाविद्यालयों में उपलब्ध आनर्स विषय एवं विषय समूह

कला संकाय (केवल छात्रों हेतु)

बी.ए. (आनर्स) : अरबी, बंगाली, हिंदी, कन्नड़*, मराठी, फारसी, पाली, संस्कृत, तमिल, तेलगू, उर्दू, नेपाली, अंग्रेजी, चीनी*, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी*, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, कला का इतिहास, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, भूगोल, गणित, सांख्यिकी, पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन#, अर्थशास्त्र*

टिप्पणी : *केवल उन्हीं छात्रों को बी.ए. (आनर्स) - अर्थशास्त्र की अनुमति होगी जिन्होंने एक से चौथे सेमेस्टर में अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी विषय समूह के रूप में लिया हो। ऐसे छात्रों के लिए अर्थशास्त्र आनर्स की 10 सीटें उपलब्ध होंगी।

#संबंधित विषयों के संकाय सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार छात्रों को दिए जाएंगे।

सामाजिक विज्ञान संकाय (केवल छात्रों हेतु)

बी.ए. (आनर्स) : अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, सांख्यिकी, भूगोल

विज्ञान संकाय (छात्र-छात्राओं दोनों हेतु)

बी.एस-सी. (आनर्स) : वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, संगणक विज्ञान, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, मनोविज्ञान।

वाणिज्य संकाय (छात्र-छात्राओं दोनों हेतु)

बी.कॉम. (आनर्स)/बी.कॉम. (आनर्स)-वित्तीय बाजार प्रबंधन : वाणिज्य, मुख्य परिसर तथा राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा।

संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (छात्र-छात्राओं दोनों हेतु)

शास्त्री (आनर्स) : ऋग्वेद, यजुर्वेद (शुक्ल), यजुर्वेद (कृष्ण), सामवेद, व्याकरण, साहित्य (काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र), साहित्य (काव्य, गद्य, नाटक), वेदांत, न्याय, सांख्ययोग, पुराण, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, धर्मशास्त्र, मीमांसा, ज्योतिष (गणित), ज्योतिष (फलित), धर्मागम, कर्मकाण्ड।

महिला महाविद्यालय (केवल छात्राओं हेतु)

बी.ए. (आनर्स) - कला : बंगाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, कला का इतिहास, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, संगीत (वादन/गायन), चित्रकला*, भूगोल, गणित, सांख्यिकी, फ्रांसीसी, शिक्षा।

बी.ए. (आनर्स) - सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, सांख्यिकी, भूगोल।

बी.एस-सी. (आनर्स) : वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, संगणक विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, गणित, भौतिकी, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, भूगर्भशास्त्र*।

* शैक्षणिक सत्र 2016-17 के दौरान बी.एस-सी. (आनर्स) प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय विषय संयोजन जिसमें भूगर्भशास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित है, महिला महाविद्यालय में प्रस्तावित (आवंटित) नहीं किया जाएगा।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय

- 1) **आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय** (चेतगंज, वाराणसी) (केवल छात्राओं हेतु)
बी.ए. (आनर्स) - कला : बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, दर्शनशास्त्र, संगीत (वादन/गायन), गृह विज्ञान।
बी.ए. (आनर्स) - सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान।
बी.कॉम. (आनर्स) : वाणिज्य।
- 2) **वसन्त कन्या महाविद्यालय** (कमच्छा, वाराणसी) (केवल छात्राओं हेतु)
बी.ए. (आनर्स) - कला : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, दर्शनशास्त्र, भूगोल, संगीत (वादन/गायन), चित्रकला*।
बी.ए. (आनर्स) - सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान।
- 3) **वसन्ता महिला महाविद्यालय** (राजघाट, वाराणसी) (केवल छात्राओं हेतु)
बी.ए. (आनर्स) - कला : हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, गृह विज्ञान, दर्शनशास्त्र, संगीत (वादन/गायन), चित्रकला*।
बी.ए. (आनर्स) - सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल।
बी.कॉम. (आनर्स) : वाणिज्य।
- 4) **डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय** (औसानगंज, वाराणसी) (छात्र-छात्राओं दोनों हेतु)
बी.ए. (आनर्स) - कला : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, दर्शनशास्त्र।
बी.ए. (आनर्स) - सामाजिक विज्ञान : अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान ।
बी.कॉम. (आनर्स) : वाणिज्य।

* स्नातक में चित्रकला (पेंटिंग) आनर्स लेने वाले विद्यार्थी दृश्य कला संकाय के एमएफए में प्रवेश के लिए पीईटी में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए अपेक्षित एकवर्षीय सेतु-पाठ्यक्रम वर्तमान में संचालित नहीं किया जा रहा है।

नोट : संकायों/महिला महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में पंजीकृत **बी.ए.** (कला), **बी.ए.** (सामाजिक विज्ञान) तथा **बी.एस-सी** (गणित), **बी.एस-सी** (जीवविज्ञान) के विद्यार्थियों हेतु विभिन्न विषय संयोजन उपलब्ध हैं। ये विषय संयोजन यूईटी की मेरिट सूची, अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प एवं संबंधित संस्थान में विषय संयोजनों हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। विषय संयोजनों की सूची बीएचयू की वेबसाइट : www.bhu.ac.in पर देखी जा सकती है और यह सूची संभावित प्रवेश के लिए काउंसिलिंग हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

महत्वपूर्ण तिथियां

प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर यूईटी-2016 ऑनलाइन फार्म की उपलब्धता	:	29.01.2016
आवेदन पत्र ऑनलाइन की जमा करने की अंतिम तिथि	:	29.02.2016

महत्वपूर्ण अनुदेश

1. (i) प्रवेश पत्र (प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए), (ii) बुलावा पत्र (काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए) डाउनलोड करने के लिए तथा (iii) पंजीकरण (प्रवेश लेने के बाद) एवं नियमित परीक्षाओं के लिए परीक्षा फार्म भरने हेतु ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर आवश्यक है। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कृपया अपना ई-मेल आईडी तथा पासवर्ड लिख लें और अपना मोबाइल नंबर बदले नहीं। प्रवेश पत्र, प्रवेश इत्यादि संबंधी विभिन्न संदेश केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाएंगे।
2. आवेदन फार्म भरना प्रारंभ करने से पूर्व अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर लें। यह केवल जेपीजी प्रारूप में ही स्वीकार्य है। फोटो तथा हस्ताक्षर का आकार **100 केबी** से अधिक नहीं होना चाहिए (100 डीपीआई तथा हस्ताक्षर को लगभग 5 सेमी X 1.5 सेमी के आकार में क्रॉप कर लें)।
3. हस्ताक्षर को स्कैन करने के लिए काले स्केच पेन का प्रयोग करें।
4. प्रिंट आउट लिए गए प्रवेश पत्र पर अपना फोटो चिपकाना है। अतएव, जिस फोटो को स्कैन करना है उसकी पर्याप्त प्रतियां अपने पास रख लें।